लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 22.4.1980

की

कार्य सूची

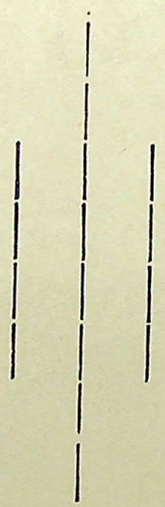

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22 जूलाई, 1980 में विचारणीय विषयों की सूची

विषय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 14-5-1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 14-5-1980 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	10
3	बजट में प्राविधान के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या ।	14
4	प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन अग्रिम का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।	21
5	पोस्ट ग्रेज्युएट एलाउन्स अप्राविधिक कर्मचारियों को दिये जाने के सम्बन्ध में ।	24
6	लखनऊ विकास प्राधिकरण में दो कास्ट असिस्टेन्ट के पदों का सृजन ।	25
7	श्री एस0सी0गुप्ता, सहायक अभियन्ता का अधिशासी-अभियन्ता के पद पर एडहाक अपाइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में ।	26
8	इस्लामिया कालेज के कम्पाउन्ड में दूकानों के निर्माण के निर्माण के सम्बन्ध में§भू-उपयोग परिवर्तन §	27
9	मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में	28
10	सर्वे आफ़ इन्डिया से सर्वे कराने के सम्बन्ध में ।	29
11	फैजाबाद रोड स्थित मोहन ऐण्ड कम्पनी का अशोका-गार्डेन कालोनी में भवन चित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।	33
12	भवन उप-विधियाँ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में	35
13	सेक्टर "एल" में दानत्व से छूट देने के सम्बन्ध में ।	36
14	सेक्टर "एम" में दानत्व से छूट देने के सम्बन्ध में ।	37
15	तालकटोरा रोड स्थित आवास विकास परिषद् की कालोनी के औद्योगिक क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	38
16	नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सम्बन्ध में ।	55
17	चिड़िया बाज़ार में अर्जन की कार्यवाही समाप्त करने के सम्बन्ध में ।	58
18	शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-10 की भूमि का अर्जन ।	59
19	श्री हरीश रस्तोगी के प्रार्थनापत्र पर विचार ।	61
20	आर्मी वेलफेयर बोर्ड को भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।	63
21	लीज़रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।	64
22	श्री राम किशन मिशन को भूमि का लीज़ पर पट्टा देने के सम्बन्ध में ।	66
23	श्री सी0एस0अग्रवाल को आवन्टित भूखण्ड सं0-49 स्थिति सेक्टर "जे" को बदलने के सम्बन्ध में ।	82
24	लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये उद्दयान अधीक्षक के वेतनमान रू0 550-1200 के पद, एवं श्री जे0पी0गुप्ता उद्दयान अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	84
25-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	

======:::::00000:::::========

एम/आर xxx

विषय संख्या: । पृष्ठ संख्या: ।

विषय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक मई 9,
1980 के कार्यवृत्त का
पुष्टिकरण ।

=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 9- 5- 80
का कार्यवृत्त पुष्टिकरण
हेतु प्रस्तुत है ।

= =====::::0000:::::====== =

एम/आर xxx

विषय संख्या: 2 पृष्ठ संख्या: 10

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-5-1980 की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
2:1	डा0टन्डन को उनकी अर्जित भूमि में से 25% भूमि आवन्टन किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि 15 दिन के अन्दर पिछली दरों व शर्तों पर भूमि आवन्टित कर दी जाये ।	डा0टन्डन को निर्णयानुसार भूमि आवन्टित कर दी गई ।
2:2	विभिन्न योजनाओं में विस्थापितों हेतु भूमि छोड़े जाने हेतु गाइड-लाइन्स तैयार करने के सम्बन्ध में गठित उप-समिति की अनुशंसा ।	एक उपसमिति का गठन किया गया एवं अगली बैठक में अनुशंसा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।	गठित उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । विषय बैठक में विचारार्थ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
2:3	तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 की पत्रावली खोने की जाँच करने एवं रिकान्स्ट्रक्ट करने के सम्बन्ध में ।	सम्बन्धित कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये एवं पत्रावली तुरन्त रिकान्स्ट्रक्ट की जाये ।	पत्रावली खोने की जाँच लगभग पूरी हो चुकी है तथा पत्रावली का रिकान्स्ट्रक्शन प्रासेस में है ।
2:4	कलेक्ट्रेट से नजूल भूमि सम्बन्धी नक्शे व अभिलेख पूर्ण करने के सम्बन्ध में ।	इस कार्य के लिये समय-बध्द कार्यक्रम बनाया जाये । शेष अमीनों की नियुक्तियाँ की जायें सभी कार्यों हेतु नार्मस निर्धारित किये जायें । नजूल भूमि से अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के नियमों में संशोधन हेतु शासन से अनुरोध किया जाये ।	कार्यवाही प्रगति पर है ।
2:5	दूर बसी आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात सुविधा हेतु 50 ओटो-रिक्शा क्रय करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि इस हेतु विज्ञापन शीघ्र दिया जाये ।	50 आटो रिक्शा क्रय करने हेतु आटो-रिक्शा के ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन कराने के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापित कर दिया गया है ।
2:9	सिन्डर्स डम्प योजना के अर्न्तगत निर्मित 38 दूकानों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि दूकानें शीघ्र आवन्टित कर दी जायें एवं स्कूटर्स तथा गाड़ी रिपेयर्स हेतु स्थल भी निर्धारित कर दिया जाये ।	सिन्डर्स डम्प योजना के अर्न्तगत 31 दूकानें आवन्टित की जा चुकी हैं । शेष 7 के बारे में जाँच की जा रही है । जाचों-परान्त शीघ्र आवन्टन कर दिया जायेगा ।
2:11	भूखण्ड संख्या-3 सा मिल योजना के अर्न्तगत भूखण्ड आवन्टन के सम्बन्ध में ।	शासन के निर्देशानुसार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अन्तिम निर्णय ले लें ।	इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है । पत्रावली उपाध्यक्ष के निर्णयाधीन है ।

क्रमशः--2

2:14	नक्खास योजना के अर्न्तगत चिड़िया बाज़ार के समीप के क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि एक उपसमिति गठित की जाये । यह कमेटी इक्जामिन करे कि ट्रैफिक किस प्रकार रेगुलेट हो ।	नक्खास योजना में चिड़िया बाज़ार के समीप के क्षेत्र को अर्जित करने के सम्बन्ध में तथा कुछ सम्पत्तियों को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में आख्या विचारार्थ बैठक हेतु अलग से प्रस्तुत है । ट्रैफिक को नियमित करने सम्बन्धी सब-कमेटी की बैठक की जा रही है ।
2:15	शाहर के मध्य बटलीगंज स्कीम के भूखाण्ड स-10 की भूमि का अर्जन ।	निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त तथा राज्य सम्पत्ति अधि0 से विचार विमर्श कर लिया जाये ।	विषाय अलग से विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।
2:16	लखानऊ नगर में कुर्सी रोड पर केटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स पर कार्यवाही के निर्देश ।	निर्णय लिया गया कि केटिल कालोनी की स्थापना शीघ्र की जाये । उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही भी देख ली जाये ।	केटिल कालोनी की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
4:1	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अर्न्तगत उपलब्ध भूखाण्डों के बिक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन तथा प्रार्थनापत्रों की स्क्रुटनी के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि रजिस्टर्ड एजेन्सी व ट्रक ओनर्स की स्क्रुटनी करके शीघ्र आवन्टन कर दिया जाये ।	प्रार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें से तीन व्यक्ति एजेन्सी/ट्रक ओनर्स है जिनकी दिनांक 21-7-80 को आवन्टन की कार्यवाही की जायेगी ट्रान्सपोर्टस् की बैठक बुलाई गई है । विचारोपरान्त प्राधिकरण की बैठक में सूचित किया जायेगा ।
वि0स0:3			
	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति आख्या ।	कानपुर विकास प्राधिकरण तथा आवास-विकास परिषाद से प्रगति दर्शाने के प्रोफार्मे लाने हेतु निर्देश दिये गये ।	आवास विकास परिषाद से प्रोफार्मा मँगा लिया गया है तदानुसार प्रगति-आख्या प्रस्तुत की जा रही है। हड्को से ऋण लाने तथा मानेटरिंग के लिये सेल बना दी गई है ।
वि0स0:4			
	लखानऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि यह देख लिया जाये कि कानुपर विकास प्राधिकरण के सचिव को क्या-अधिकार हैं । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा निर्णय ले लिया जाये ।	विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में आदेशानुसार अध्यक्ष महोदय के आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं ।

क्रमश:----

विषय सं0:5

अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर - प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन एक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि प्लान को स्वीकृत किया जाता है । घनत्व में छूट हेतु शासन को लिखा जाये ।

सेक्टर "एन" में घनत्व से छूट देने हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।

विषय संख्या:6

लक्ष्मन टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है । निर्णय लिया गया कि ल0वि0 प्राधि0का नया कार्यालय शीघ्र बनवाया जाये इसके साथ अतिथिगृह का निर्माण किया जाये ।

प्राधिकरण कार्यालय तथा अतिथि गृह निर्माण हेतु स्थल का चयन किया जा रहा है ।

विषय सं0:7

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा-प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि दोहरी-लेखाप्रणाली अभी लागू न की जाये । आवासकनसलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर ली जाये । एवं प्राधिकरण की बैलेन्स-शीट तैयार की जाये ।

कानपुर विकास प्राधिकरण में आवास कनसलटेन्ट द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है । लखनऊ-विकास प्राधिकरण की वार्षिक बैलेन्स-शीट वर्ष 1974-75 आशा है कि 31-7-80 तक बन कर तैयार हो जायेगी शेष वर्षों की बैलेन्स शीट 31-12-1980 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा ।

विषय सं0:8

लखनऊ नगर में रैन बसेरा स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

रैन बसेरा की स्थापना हेतु डिज़ाइन व व्यय-अनुमान शीघ्र बनाये जायें । स्थल का चयन भी किया जाये ।

लखनऊ नगर में रैन बसेरा स्थापित करने हेतु डिज़ाइन तैयार करा ली गई है । स्थल का चयन किया जा रहा है ।

विषय सं0:9

विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन से छूट देने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि विषय में यह सम्भावना भी देख ली जाये कि इस क्षेत्र को आवास एवं विकास परिषद की सीवर लाइन से जोड़ा जा सकता है या नहीं ।

विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन से छूट देने के सम्बन्ध में आवास विकास परिषद की सीवर-लाइन से जोड़ने के लिये सम्भावनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

क्रमश:-----

विषय सं0:10

कोआपरेटिव सोसाइटीज़ एवं कालोनाइज़र व्दारा प्लान पर तकनीकी रुप से स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात विकास कार्य हेतु ऐग्रीमेन्ट न करने तथा विकास व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार ।

निर्णय लिया गया कि ऐसी सोसाइटीज को नोटिस दिया जाये । जिन्होने डेवलपमेन्ट चार्ज न दिया हों ।इन्डिविजुअल प्लान पास न किया जाये जबतक ले-आउट पास न हो ।प्राधिकरण कोष से विकास कार्य कराने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

निर्णयानुसार सोसाइटीज़ को निर्देश दे दिये गये हैं । तथा आवास संदा को भी लिखा दिया गया है ।

विषय संख्या:11

किराया क्रय पध्दति के आधार पर अधिकारियों को भवन आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि उपलब्धता 10% आरक्षण में वे कर्मचारी भी सम्मिलित होगें जो प्राधिकरण में कार्यरत हो या कार्यरत रहने के पश्चात स्थानान्तरित हो गये हों या डेपुटेशन पर आकर चले गये हों । इसमें केन्द्रयत सेवा के भी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित होगें ।

परिभाषा को आवन्टन नियमावली में भी सम्मिलत कर लिया जाये ।

सन्दर्भित भवन किराया क्रय पध्दति पर उनके आवन्टियों को आवन्टित कर दिये जायें परन्तु इसे 10% के कोटे में समायोजित कर दिया जाये ।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

= = = = :::::00000:::::::= = = = = =

एम/आर xxx

विषाय सँख्या: 3

पृष्ठ सँख्या: 14

विषाय :
=====

बजट में प्रस्तावित
वित्तीय एवं भौतिक
लक्ष्यों के विरूद्ध
प्रगति आख्या ।

=x=x=x=x=

बजट में प्रस्तावित
वित्तीय एवं भौतिक
लक्ष्यों के विरूद्ध
प्रगति आख्या प्रस्तुत
है ।

=====:::::0000:::::======

एम/आर xxx

वर्ष 1980-81 आय-व्यय विवरण माह जून 1980 अन्त तक

आय

लक्ष्य	लीज़रेन्ट	रेन्ट व प्रीमियम	भवनचित्र व तावानशुल्क	भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	ऋण	अन्य प्राप्ति	प्रारम्भिक अवशेष	योग
वार्षिक लक्ष्य	5·90	66·10	8·42	350·76	338·45	995	15·79	277·74	2058·16
मासिक लक्ष्य									
प्रोग्रेसिव लक्ष्य									
मासिक आय									
प्रोग्रसिव आय	0·62	2·70	1·21	4·69	11·31	26·63	5·38	267·74	327·58
प्रोग्रसिव लक्ष्य का प्रतिशत							5·60		
वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत									

व्यय

	अधिष्ठान	भूमि अर्जन	विकास कार्य पुरानी योजनायें	भूमि विकास (नया)	भवन निर्माण	व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण	मलिन बस्ती निपातन	मशीनरी स्टोर	ऋण/ब्याज/प्रतिदान	अन्य	अन्तिम अवशेष	योग
वार्षिक लक्ष्य	52·53	440	22·25	316·43	662·97	100·30	158 32·20	158	172·55	97·48	3·45	
मासिक लक्ष्य												
प्रोग्रसिव लक्ष्य												
मासिक व्यय												
प्रोग्रसिव व्यय	2·44	2·70	-	-	0·26	0·59	-	12·66	18·74	5·90	175·35	
प्रोग्रसिव लक्ष्य का प्रतिशत										98·34		
वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत										6·00		

एम/आरxxx

क्रमांक	योजना का नाम	लक्ष्य	निर्माणाधीन भवनों की सं0	प्रारम्भ भवनों की संख्या	टिप्पणी
1.	अलीगंज नगर प्रसार योजना				
	एच0आई0जी0	160	14	150	
	एम0आई0जी0	300	157	128	निम्न संख्या के स्थल उपलब्ध है।
	एल0आई0जी0	650	136	391	
	ई0डब्लू0एस0	1400	306	1390	एच0आई0जी0 77
	एस0/एस0	350	8	340	एम0आई0जी0 428
2.	कानपुर रोड प्रसार योजना				एल0आई0जी0 540
	एच0आई0जी0	50	–	50	ई0डब्लू एस0 221
	एम0आई0जी0	100	–	100	एस/एस 958
	एल0आई0जी0	550	–	550	
	ई0डब्लू0एस0	1800	–	1800	
	एस0/एस0	650	100	644	
3.	पोतीफील योजना				
	एच0आई0जी0	–	–	–	
	एम0आई0जी	–	–	–	
	एल0आई0जी0 (टी/एस)	264	200	64	
	ई0डब्लू0एस0 (टी/एस)	328	260	68	
	एस0/एस0	318	280	38	
4.	ऐशबाग				
	एल0आई0जी0	13	11	2	
	ई0डब्लू0एस0	183	167	16	
5.	भीखनपुर योजना				
	एम0आई0जी0	6	4	2	

वाणिज्य एवं अन्य योजनाओं के भवनों का वित्तीय व्यय विवरण माह जून, 1980

क्रमांक	योजना का नाम	बजट में प्रस्तावित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वर्ष में व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4.	5.	6.
1-	छितवापुर शापिंग कामप्लेक्स	50.00 लाख	50.00 लाख	0.55 लाख	
2-	जनपथ मार्केट	05.00 लाख	05.00 लाख	0.10 लाख	
3-	सिण्डर्स डम्प योजना	15.00 लाख	15.00 लाख	.07 लाख	
4-	अलीगंज मार्केटिंग कम्प्लेक्स	10.00 लाख	10.00 लाख	निल	
5-	अलीगंज योजना में छोटी दुकानों का कार्य ।	01.00 लाख	01.00 लाख	निल	
6-	अलीगंज योजना में शाब्जी मण्डी का कार्य	01.00 लाख	01.00 लाख	निल	
7-	कामधेनु नगर	निल	निल	निल	परियोजना प्रस्तुत की जा चुकी है ।

वाणिज्य एवं अन्य योजनाओं के भवनों का प्रगति विवरण माह- जून, 1980

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष का लक्ष्य - उपलब्ध स्थलों की संख्या	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	पूर्ण इकाईयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाइयों की संख्या	प्रारम्भ न हुई इकाइयों की सं०	टिप्पणी
1-	छितवापुर शापिंग काम्पलेक्स	76 दुकानें	76	76	मल्टी स्टोरी नित बिल्डिंग मुख्य भवन एवं दुकानें	नित	इस काम्पलेक्स का स्ट्रक्चरल प्लान दिल्ली से अगस्त 1980 तक प्राप्त होने की संभावना है ।
2-	जनपथ मार्केट	मुख्य भवन एवं दुकानें	मुख्य भवन एवं दुकानें	मुख्य भवन एवं दुकानें	नित	नित	कार्य लगभग समाप्त हो चुका है ।
3-	सिण्डर्स डम्प	102 दुकानें	102 दुकानें	102 दुकानें	50 दुकानें	नित	52 50 दुकानों का कार्य लगभग समाप्त हो गया है ।
4-	अलीगंज मार्केटिंग एक्सटेंशन	46 दुकानें	46 दुकानें	46 दुकानें	नित	46	नित कार्य प्रगति पर है ।
5-	अलीगंज योजनामें छोटी दुकानों का कार्य	8 कियास्क	8 कियास्क	8 कियास्क	नित	8 कियास्क	नित कार्य प्रगति पर है ।
6-	अलीगंज योजना में सब्जी मण्डी का कार्य	22 दुकानें	22 दुकानें	22 दुकानें	नित	नित	22 दुकानें निविदा आमन्त्रित की गई है ।
7-	कामधेनु नगर	-	-	-	-	-	- परियोजना प्रस्तुत की जा रही है ।

भूमि विकास का प्रगति विवरण – माह जून 1980

क्र0संख्या-योजना का नाम	भूमि विकास का लक्ष्य (एकड़ में)	उपलब्ध स्थल (एकड़)	स्वीकृत स्थल (एकड़ में)	वर्ष में किया गया विकास कार्य (एकड़)	विकास हेतु अवशेष (एकड़)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	अलीगंज नगर प्रसार योजना	109.42 एकड़	109.42 एकड़	109.42 एकड़	30.00 एकड़	79.42 एकड़	विकास कार्य प्रगति पर है ।
2–	कानपुर योजना	227.56 एकड़	227.56 एकड़	227.56 एकड़	164.61 एकड़	62.95 एकड़	सी./डी./एफ का ले-आउट प्लान उपलब्ध होने के कारण प्रारम्भ न हो सका।

क्रमांक	योजना का नाम	भवन का प्रकार	बजट में प्रावधान	स्वीकृत धनराशि	मासान्त तक व्यय	टिप्पणी
			धनराशि			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1-	अलीगंज योजना	एच0आई0जी0 एम0आई0जी0 एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 एस./एस.	274.22 लाख	274.22 लाख	28.24 लाख	
2-	कानपुर नगर प्रसार योजना	एच0आई0जी0 एम0आई0जी0 एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 एस./एस.	70.20 लाख	70.20 लाख	12.52 लाख	
3-	मोती झील योजना	एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 एस./एस.	85.03 लाख	85.03 लाख	63.38 लाख	
4-	स्लम क्लीरेन्स	एच0आई0जी0 एम0आई0जी0 एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 एस./एस.	32.20 लाख	32.20 लाख	6.22 लाख	
5-	ऐशबाग	एल0आई0जी0 ई0डब्लू0एस0 एस./एस.	5.30 लाख	5.30 लाख	7.10 लाख	
6-	पेपर मिल योजना	एम0आई0जी0 एल0आई0जी0	3.00 लाख	3.00 लाख	-	

विषय - लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन-निर्माण/भूमि क्रय के लिये स्वीकृत अग्रिम के भुगतान के लिये ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के प्राविधानों एवं शर्तों के अनुसार अपने कर्मचारियों अधिकारियों को भवन निर्माण, भवन/भूमि क्रय हेतु अग्रिम स्वीकार करता है ।

1- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली 1962, जैसा कि 1970 तक संशोधित है, के नियम-50 में भवन या वाहन अग्रिम के बारे में उल्लेख निम्न प्रकार है :-

(a) The rule for the time being enforce in respect of advances to the servants of the Government for construction of house or purchase of conveyances shall mutalis mutandis apply to the servants of the Mahapalika with the following modifications:-

(a) The authority impowered to sanction all such advances except an advance for the purchase of a bicycle shall be the executive committee of the Mahapalika, which shall consider such proposals on the specific accommodarion of the Mukhya Nagar Adhikari.

(b) The Authority impowered to sanction advances for bicycle shall be the Mukhya Nagar Adhikari.

(c) The advances shall be made from the Mahapalika Fund.

2- उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि नगर महापालिका के कर्मचारियों पर वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा 244 पूर्णत: लागू होगा केवल स्वीकृत करने वाले अधिकारी में परिवर्तन होगा । एल0डी0ए0 के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत अधिकारी उपाध्यक्ष होगा ।

3- वर्ष 1977-78 में कर्मचारियों को भवन-अग्रिम की स्वीकृत का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 में आइटम नं0-9 पर रखा गया है, जिस पर निर्णय हुआ :-

"यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों, चाहे वह किसी भी श्रोत से आये हो, उसी प्रकार भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से उसी प्रकार अग्रिम दिया जाये, जिस प्रकार लखनऊ नगर महापालिका में कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये जा रहे हैं । बशर्ते उन कर्मचारियों को

क्रमश:- - - 2.

अभी तक मूल रूप से लखनऊ महापालिका के कर्मचारी/अधिकारी अग्रिम देने से पूर्व महापालिका/विकास प्राधिकरण में कार्यरत दो स्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों की ज़मानत देना होगा । इसी आधार पर उपाध्यक्ष प्राप्त प्रार्थनापत्रों को निस्तारित करेंगे ।

4- वर्ष 1978-79 में 18 मामलों में अग्रिम स्वीकृत किये गये थे, जिनका भुगतान सचिव, आवास विकास के कक्ष में दिनांक 24-10-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त, जिसे शासन ने अपने आदेश संख्या 7032/37-2-69ए/79 दिनांक 16-11-78 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया था, के आधार पर पूर्व प्रक्रिया के अनुसार किया गया था जैसा कि उपरोक्त कार्यवृत्त में वर्णित था अर्थात् विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर फार्म -22ए पर अनुबन्ध कराकर पूर्ण भुगतान कर दिया गया था, परन्तु माटीज डीड विभागाध्यक्षों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

5- वर्ष 1979-80 में वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के भाग-2 के पैरा 244 की शर्तों के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त की गई थी । प्रमुख रूप में शर्तें निम्नवत् थी :-

1- कर्मचारियों से भूमि/भवन का स्वामित्व प्रमाणपत्र, उसका पूर्ण विवरण देने के लिये, नान-इनकम्बरेन्स प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये और फार्म नं0-22ए में अनुबन्ध कराने के पश्चात् एडमिसिबुल अग्रिम का 50% अग्रिम मुक्त करने की संस्तुति की गई थी । पुन: कर्मचारियों के अनुरोध पर उपाध्यक्ष महोदय ने नानइनकमबरेन्स सर्टीफिकेट की मॉग को इनसिस्ट न करने के लिये आदेश दिये और तभी 50% अग्रिम अवमुक्त किया गया । शेष 50% उपभोगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा माटीज डीड प्रस्तुत करने पर ही धनराशि को अवमुक्त कराने को अनुमोदित कर दिया गया था, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 1979-80 में कर्मचारियों को शेष 50% का भुगतान नहीं किया जा सका ।

2- छ: कर्मचारियों को भवन-अग्रिम स्वीकृत किये गये थे परन्तु उनके आवास किराया-क्रय के आधार पर आवण्टित किये गये हैं, उन कर्मचारियों का कहना है कि उनको अग्रिम का आधा भाग आवण्टित भवन में संशोधन करने तथा आधा किराया-क्रय के लेखे में जमा करने की अनुमति भी दी जाये ताकि भवन रहने के लिये पर्याप्त हो जाये तथा किराया-क्रय का भार भी कम हो जाये ।

3- दो कर्मचारियों ने 74-75 में अग्रिम लिये थे, वेतन आयोग की संस्तुति पर उनका वेतन बढ़ गया । उनको पुराने वेतन के आधार पर अग्रिम दिया गया था, वह नये वेतन के आधार पर स्वीकृत अग्रिम का पुन: निर्धारण करके भुगतान चाहते हैं ।

क्रमश:-- - -3.

यह उल्लेखनीय है कि शासकीय कर्मचारियों को मार्टगेज डीड रजिस्टर्ड कराने में स्टाम्प ड्यूटी ऐक्ट के अन्तर्गत छूट प्राप्त है, जो प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लागू नहीं है । अत: वह इसे करा नहीं सके और भुगतान नहीं किया जा सका ।

प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त आख्या विचारार्थ प्रेषित है । प्राधिकरण कृपया यह निर्णय लेने की कृपा करें कि भुगतान बिना रजिस्टर्ड मार्टगेज डीड के कर दिये जाये अथवा दो स्थाई कर्मचारियों की जमानत (स्योरिटी) लेकर भुगतान करने की प्रक्रिया अपनाई जाये, जैसा कि कर्मचारियों ने अनुरोध किया है । प्राधिकरण कृपया यह भी निर्णय लेने की कृपा करें कि जिन कर्मचारियों को किराया-क्रय के आधार पर भवन आवण्टित है उनका 50% भाग भवन की कास्ट में समायोजित कर दिया जाय और 50% उनको भुगतान कर दिया जाये ।

- : 0 : -

विषय : अप्राविधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव संख्या-15 दिनांक 28-9-79 द्वारा अपने प्राविधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को स्नातकोत्तर भत्ता निम्न प्रकार दिया जाना स्वीकृत किया है :-

1- डिप्लोमा होल्डर्स - 50 रुपये प्रति माह
2- डिग्री होल्डर्स - 100 रुपये प्रति माह ।

कर्मचारी संघ ने मॉग की है कि इसी भॉति अप्राविधिक कर्मचारियों को भी स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाये । अत: यह विषय शासन को विचारार्थ प्रेषित किया गया था । शासन ने अपने पत्र संख्या 8726/37-2-69डी0ब0/78 दिनांक 1-1-80 द्वारा प्राधिकरण की संस्तुतियॉ चाही हैं ।

अतएव प्राधिकरण की संस्तुतियॉ हेतु विषय विचारार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

विषाय: 2 कास्ट असिस्टेन्ट के पद् वेतन मान 350-700 प्लस अनुमन्य भात्ते में सृजित करने के सम्बन्धा में ।

प्राधिकरण में चालू योजनाओं की कास्ट बेनीफिट एनालाइसेस निकाली जानी आवश्यक प्रतीत होती है जिससे कि किसी भी योजना के सम्बन्धा में सही जानकारी मिल सके । अलीगँज योजना को प्रारम्भा किये हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं परन्तु उसकी कास्ट बेनीफिट एनालाइसेस अभी तक नहीं निकल पाई है । इसी प्रकार अन्य के विषाय में भी ऐसा ही हुआ है । साथ ही पुरानी योजनायें जैसे:- महानगर हाउसिँग, कुतुबपुर इरादत नगर, पेपर मिल कालोनी, नेपियर रोड योजना आदि में भी विकास कार्यो हेतु व्यय लगातार हो रहा है ।

उपरोक्त कार्य हेतु 2 कास्ट असिस्टेन्ट के पदों की आवश्यक्ता है । ये कास्ट असिस्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट के अधीनस्था कार्य करेगें । उक्त कार्य के अतिरिक्त कास्ट असिस्टेन्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट के अधीन अन्य कार्यो को भी निष्पादित करेगें ।

दोहरी लेखा प्रणाली भविष्य में लागू होने पर उ रोक्त कास्ट असिस्टेन्ट्स को उक्त कार्य में भी लगाया जायेगा ।

अत: कृपया प्राधिकरण 2 कास्ट असिस्टेन्ट के पद् सृजित करने का कष्ट करें ।

=======::::0000:::::=======

एम/आर xxx

विषय: भूमि अर्जन एवं विकास खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, उ0प्र0, पालिका केन्द्रियत सेवा के सहायक अभियन्ता कार्यरत विकास - प्राधिकरण की तदर्थ नियुक्ति ।

=x=x=x=x=x=x=

भूमि अर्जन एवं विकास खण्ड के लिये विभिन्न पदों पर सृजन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 15-10-1976 व्दारा निम्न प्रकार किया गया था ।

1-	अधिशासी अभियन्ता-	1
2-	सहायक अभियन्ता	4
3-	अवर अभियन्ता तथा अन्य पद्	8

वर्ष 1980-81 के बजट में इन पदों को रिक्त दर्शाया गया है चूकिं इस वर्ष अर्जन एवं विकास के अतिरिक्त आवासीय एवं वाणिज्य भवनों के निर्माण का वृहत कार्यक्रम बजट में पारित हुआ है, और चूकिं उक्त कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिये समय कम रह गया है अस्तु यह आवश्यक था कि उक्त रिक्त पदों की पूर्ति अविलम्ब करके भूमि अर्जन एवं विकास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें । चूकिं अधिशासी अभियन्ता के पद् को अन्यथा भरने से काफी समय लग सकता है अस्तु श्री ए0जी0गुप्ता कार्यरत सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, लखनऊ जो कि प्राधिकरण में उपलब्ध सहायक अभियन्ताओं में ज्येष्ठतम हैं तथा अधिशासी अभियन्ता पद् के लिये निर्धारित योग्यता रखते हैं, को तदर्थ रूप से आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनाँक 30-5-1980 के व्दारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री गुप्ता को रू0 650-1400 के निर्धारित वेतन क्रम में नियुक्त कर लिया गया है तथा श्री गुप्ता ने दिनाँक 30-5-1980 के अपरान्ह से उक्त पद पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है । अस्तु कार्य के हित में प्रस्तावित है कि विकास प्राधिकरण व्दारा श्री ए0जी0गुप्ता की उक्त अधिशासी अभियन्ता (अर्जन) एवं विकास खण्ड के रिक्त पद् पर नियुक्ति स्वीकृति की जाये ।

उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन को भी सूचित कर दिया गया है ।

1- आयुक्त एवं सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

2- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियन्ता, जल-निगम, लखनऊ ।

6- उप-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

7- आयुक्त एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

=======::::000::::=======

ह्रम/आरxxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : अमीरुद्दौला इस्लामियाँ इण्टर कालेज का ब्यापारिक निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

मैनेजर, इस्लामियाँ कालेज ने विशेश्वरनाथ मार्ग पर स्थित कालेज के परिसर में ब्यापारिक भवन बनाने हेतु शासन को एक आवेदन किया था और शासन से अनुरोध किया है कि स्कूल परिसर में भूमितल पर शैक्षिक तथा प्रथम तल पर ब्यापारिक भवन के निर्माण की अनुमति दी जाय ।

विशेष्वरनाथ रोड का यह क्षेत्र मास्टर-प्लान में आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित है । आवासीय क्षेत्र में सुविधा के रूप में स्कूल स्थापित किये जा सकते हैं, परन्तु स्कूल के ऊपर ब्यापारिक भवन बनाना निम्न कारणों से उचित नहीं प्रतीत होता :-

1- स्कूल क्षेत्र में, जो पहले ही एक संकुचित क्षेत्र है, इस प्रकार के भवन से जो भी खुला स्थान है, घिर कर लुप्तप्राय हो जायेगा ।

2- विशेश्वरनाथ रोड पर कुछ भवनों ने अपने अग्रभाग को ब्यापारिक उपयोग में बदल रखा है, जबकि वे मूलरूप से आवासीय है । अत: यदि नियमित रूप से उपयोग परिवर्तन किया गया तो जहाँ एक तरफ सड़क के ऊपर यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी तरफ भू-उपयोग परिवर्तन के इस विकट रूप को प्रश्रय मिलता है । विकास

विकास प्राधिकरण की तरफ से यह सूचना संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग-3 को उनके पत्र के उत्तर में पूर्व में दिया गया था । अब पुन: संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र उपाध्यक्ष को सम्बोधित करते हुये प्रेषित किया है, जिसमें उन्होने यह कहा है कि "शासन ने भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया है कि भू-तल पर निर्माण व बनाये गये कमरों का उपयोग दुकानों के लिये नहीं किया जायेगा, केवल कार्यालय अथवा बैंक हेतु किया जायेगा" शासन ने प्रश्नगत स्थल का खसरा नम्बर इत्यादि कुछ सूचनायें उपलब्ध कराने को कहा है । चूँकि यह भू-उपयोग परिवर्तन का विषय है, अत: यह विषय प्राधिकरण के समक्ष शासन को सूचना भेजने से पूर्व निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विचारार्थ टिप्पणी

विषय : मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की बैठक जुलाई 8,1977 के मद संख्या-4 पर लखनऊ मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वश्री रतन कुमार के केस में लखनऊ महायोजना की वैधानिकता पर लिये गये निर्णय पर उठाई गई शंका का विषय सविस्तार देखा गया था एवं इस विषय को शासन के विधि परामर्शी को राय देने हेतु भेजने काआदेश पारित किये गये थे । उक्त आदेश के तारतम्य में शासन ने महायोजना की वैधता पर विधि परामर्शी एवं अन्य वैधानिक राय देने वाले व्यक्तियों से राय प्राप्त कर मास्टर प्लान को विकास प्राधिकरण क्षेत्र हेतु वैधानिक माना है ।

न्याय विभाग से अपने परामर्श में यह स्पष्ट किया है कि यदि लखनऊ महायोजना में विकास क्षेत्र आता है तो वह मास्टर प्लान विकास क्षेत्र के लिये लागू माना जायेगा ।

उपरोक्त के अनुसार महायोजना पूर्णरूप से वैधानिक है । यह विषय अब प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ टिप्पणी

विषय : लखनऊ नगर का मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण करने की अनुमति ।

लखनऊ शहर तथा उसके आस-पास का क्षेत्र जहाँ पर विकास इस समय तीव्र गति से हो रहा है या होने की सम्भावना है, 80 डिग्री 45 मिनट देशान्तर से 81 डिग्री 50 मिनट देशान्तर तक तथा 26 डिग्री 45 मिनट अक्षांश से 27 डिग्री अक्षांश तक है । इसका क्षेत्रफल करीब 400 वर्ग किलोमीटर है । इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका, आलमबाग-चारबाग रेलवे नोटीफाइड एरिया, लखनऊ कैण्टोनमेण्ट तथा 124 गाँव सम्मिलित हैं । लखनऊ महानगरी की महायोजना बनाते समय यही क्षेत्र एवं इसमें रह रहे जनसंख्या को मुख्य रूप से विचार में रखा गया था और आशा की गई थी कि प्लान समय अर्थात् वर्ष 1995 तक यह पूरा क्षेत्र शहरी उपयोग में पूर्ण रूप से आ जायेगा ।

2- महायोजना को कार्यान्वित करने एवं उसके आधार पर "ज़ोनल प्लान" बनाने हेतु यह आवश्यक है कि महायोजना से बड़े स्केल पर पूर्ण डिटेल के साथ ज़ोनल प्लान बनाया जाये । उक्त कार्य करने हेतु अन्य सूचनाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेप्लान जो करीब स्केल 1 = 5,000 पर हो उपलब्ध होना चाहिये । इस समय इस प्रकार का कोई प्लान उपलब्ध नहीं है, जिसे आधार रखते हुये ज़ोनल प्लान बनाने का कार्य हाथ में लिया जाये । जो भी प्लान उपलब्ध है, उनकी सत्यता काफी संदिग्ध है और इस प्रकार ज़ोनल प्लान बनाने का कार्य काफी हद तक सम्भव नहीं हो पा रहा है । साथ ही साथ विकास के सारे कार्य जो अभी किये जा रहे हैं, वे मूल रूप से कार्य क्षेत्र का प्लान बनाकर उसे ही आधार रख कर किया जाता है, जिसे साधारणतया शहर के पूर्ण परिप्रेक्ष्य में जाँचना एवं उसे आधार रखकर कार्य करना आवश्यक है, जो वर्तमान परिस्थिति में सम्भव नहीं हो पाया है ।

3- लख शहर का सेटेलमेण्ट प्लान 1862 में बनाया गया था जब शहर का पूरा क्षेत्र करीब 15-20 वर्गमील में रहा होगा । महापालिका बनते समय क्षेत्र बढ़कर 43.36 वर्गमील हो चुका था इस प्रकार 1862 का प्लान जो 100 वर्ष पहले बना था, न तो वैधानिक रूप से सही स्थिति प्रस्तुत करता है और न पूरे क्षेत्र की जानकारी ही रखता है, क्योंकि 11 दशकों में हुये उपयोग परिवर्तन उक्त प्लान में नहीं है ।

क्रमशः- - - -2-

4- सन् 1919 से शहर के विकास को नियोजित करने हेतु सर्वे आॅफ इण्डिया द्वारा 1"=82.5फुट (1:990) के स्केल में शहर के आवादी क्षेत्र का सर्वे किया गिया था, परन्तु यह क्षेत्रफल अव पूर्ण रूप से शहर का भीतरी भाग हो गया है तथा इस प्लान क्षेत्र में भी इतना परिवर्तन हो चुका है कि अव इस प्लान से कोई भी सूचना प्राप्त करना उचित नहीं है ।

5- शहर का सही प्लान न होने एवं कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण,जो प्लान को सही कर सके, केवल यही विकल्प उपलब्ध था कि पूर्व में यह कार्य करने वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया जायें और यह कार्य पुन: कराने का यत्न किया जाये । सन् 1919 का प्लान सर्वे आॅफ इण्डिया द्वारा किया गया था । अत: पुन: प्लान वनाने हेतु उक्त विभाग से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा यह विकल्प भी रखा गया कि यदि राजस्व विभाग शहर के क्षेत्र का सेटेलमेण्ट प्लान वनाने को तैयार होता है, तो सर्वे आॅफ इण्डिया द्वारा वनाये गये प्लान को 1:1000 पर विस्तृत कर भूस्वामित्व को जाॅचकर सत्यापित करने का कार्य किया जा सकता है । इन विन्दुओं को ध्यान में रखते हुये प्लान वनाने हेतु सर्वे आॅफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित किया गया । इस कार्य को नया सर्वे कर प्लान वनाने हेतु सर्वे आॅफ इण्डिया से अनुमानित व्यय करीव 40 लाख आॅका गया है, परन्तु यदि विभाग में उपलब्ध पुराने सर्वे को आधार रख ते हुये, जो 1=40,000 के स्केल पर है, प्लान वनाने हेतु=सर्वे को कहा जाता है तो उसका व्यय करीवे रु03,47,000/- आने का अनुमान है । इस स्थिति पर पुन: सर्वे आॅफ इण्डिया के अधिकारियों से विस्तृत वार्ता की गई और यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जो सर्वे उपलब्ध है, वह कैसा है और उसमें क्या सूचना है । सर्वे आॅफ इण्डिया के अधिकारियों द्वारा दिये गये सूचनानुसार उपलब्ध सर्वे 1:40000 स्केल का एरियल सर्वे है, परन्तु इसकी सत्यता जिस स्केल पर प्राधिकरण को प्लान वनाना है, कम रहेगी और इसे पुन: वड़े स्केल (1:1000) पर वनाना सम्भव न हो सकेगा । सर्वे आॅफ इण्डिया के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता की रिपोर्ट सूचनार्थ संलग्न है ।

6- उपरोक्त रिपोर्ट में से दो विन्दु मुख्य है, धन उगाहना एवं एरियल सर्वे का प्रवन्ध करना । उक्त सर्वे के प्रवन्ध हेतु "नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी" सिकन्दरावाद से पत्र व्यवहार किया गया और वे इस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा उन्होने अपने पत्र दिनाॅक 27-11-78 में व्यक्त किया है। इसकी प्रति जानकारी हेतु संलग्न है तथा इस कार्य को कराने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग,उत्तर प्रदेश शासन से पत्राचार किया गया है तथा आशा

क्रमश:- - -3-

है कि एरियल सर्वे करने का कार्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग की सहायता से सम्भव हो सकेगा । यदि भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग से लखनऊ के पूरे क्षेत्र पर हवाई जहाजो की उड़ान भरने की अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो यह कार्य आसानी से हो जाने की सम्भावना है । इसकी सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद,उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सी0एस0टी0/1-837 दिनांक 12-10-79 से पता चलता है । उक्त पत्र की प्रति जानकारी हेतु संलग्न है ।

7- , अब मूल प्रश्न यह है कि क्या प्रतिरक्षा विभाग से सम्पर्क स्थापित किया जाये और सर्वे करने हेतु अग्रिम कार्यवाही एवं पत्राचार किया जाये साथ ही व्ययानुमान उत्तर प्रदेश शासन से माँगने की विशेष प्रयत्न किया जाये ।

- : 0 : -

विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद, उ0प्र0
सी-879/बी, रहीम नगर, लखनऊ ।

सी0एस0टी0/1-837 दिनांक: अक्टूबर 12,1979

सेवा में,

श्री डी0एस0 वर्मा,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

महोदय,

कृपया श्री ए0सी0 चतुर्वेदी, निदेशक, विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद को सम्बोधित अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या डी-136/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक 5-10-79 का अवलोकन करें, जोकि लखनऊ एवं उसके आस-पास के क्षेत्र के एरियल सर्वे के सम्बन्ध में है ।

इण्डियन फोटो इण्टरपिटेशन देहरादून से अभी हाल में प्राप्त हुये उत्तर (पत्र संख्या सी0डी0/पी-3/41-डी-13(11)/4040 दिनांक 17-9-79) की प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें उन्होने रू0 4,57,000 धनराशि का अनुमानित आगणन भेजते हुये यह इंगित किया है कि डिफेन्स मंत्रालय से सैद्धान्तिक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से डिफेन्स मंत्रालय से आवश्यक पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें । ताकि उनसे सैद्धान्तिक अनुमति प्राप्त होने पर एरियल सर्वे किया जा सके ।

भवदीय

संलग्नक:उपरोक्तानुसार ।

ह0/- लक्ष्मी चन्द
विभागाध्यक्ष,
सिविल इंजीनियरिंग विभाग ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : फैजाबाद रोड स्थित मेसर्स मोहन ऐण्ड को0 की अशोका गार्डेन कालोनी में भवनचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करना ।

अशोका गार्डेन कालोनी का ले-आउट प्लान कण्ट्रोलिंग अथारिटी द्वारा 30 अगस्त 1969 को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि शेष विकास कार्यों पर आने वाली लागत का भार कालोनाइजर वहन करेगा एवं नियत अधिकारी से इस सम्बन्ध में एक एग्रीमेण्ट करेगा । कालोनाइजर ने कोई एग्रीमेण्ट नहीं किया तथा सीवर लाइन डालने से छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में शासन से अपील की, जो शासनादेश संख्या 5866/33-3-24 पुन/72 दिनांक 28-3-74 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । कालोनाइजर से जब सीवर लाइन डालने के लिये पत्र भेजा गया तो उसने 25 अप्रैल, 1979 को सूचित किया कि वह सीवर का कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि प्लाट होल्डर्स से उसने इसका कोई पैसा नहीं लिया है ।

कालोनाइजर द्वारा इस कालोनी के प्लाट्स बेच दिये गये हैं और प्लाट खरीदने वाले जब अपने भवनचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हैं तो वे केवल इस आधार पर वापस कर दिये जाते हैं कि ले-आउट प्लान अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ । इसी कालोनी में श्री भगवान सिंह ने एक प्लाट खरीदा था, जिनका भवनचित्र इसी आधार पर वापस कर दिया गया था । उन्होंने अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के यहाँ अपील की और अपने पत्र में लिखा है कि सीवर की सुविधा उपलब्ध कराते समय जो भी व्यय आयेगा, उसमें वे अपने हिस्से का वह व्यय वहन करने को तैयार हैं । इनकी अपील पर अध्यक्ष महोदय ने नीति निर्धारित करने हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष अपनी सिफारिश के साथ मामला रखने के आदेश प्रदान किये ।

कालोनाइजर ने प्लाट बेच दिये हैं और सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है तथा जो विकास कार्य किये गये हैं उनका रख-रखाव न होने के कारण वह भी खराब हो रहा है । ऐसी स्थिति में यह अनुशंसा की जाती है कि सीवर को छोड़कर शेष विकास कार्य को पूरा करने के लिये जो भी व्यय होगा वह आनुपातिक दर से प्रत्येक प्लाट होल्डर्स से भवनचित्र स्वीकृत कराने से पहले जमा करा लिये जायें तथा जब विकास प्राधिकरण द्वारा वहाँ मुख्य सीवर लाइन डाल दी

क्रमशः------ 2·

जायेगी तब कालोनी में सीवर लाइन डालने का जो भी खर्च आयेगा वह आनुपातिक दर से प्रत्येक प्लाट होल्डर वहन करेगा । इसका एक एग्रीमेण्ट भी प्लाट होल्डर को करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कालोनियों में भी, जिनके ले-आउट प्लान कालोनाइजर अथवा समिति ने रिलीज न कराये हों, उन पर भी उपरोक्त नीति निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

विषय संख्या: 12

विषय: बिल्डिंग बाइलाज़ सब कमेटी द्वारा तैयार किये गये बिल्डिंग बाइलाज़ का अनुपालन एवं प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विनियम तथा उपविधियाँ ।

बिल्डिंग बाइलाज़ सब-कमेटी द्वारा तैयार किये गये बिल्डिंग बाइलाज़ के सम्बन्ध में निवेदन है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अरबन-प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट ऐक्ट 1973 की धारा 56 के अन्तर्गत दिये गये विषयों पर विनियम एवं धारा 57 के अन्तर्गत दिये विषयों पर उप-विधियाँ बनाने में सक्षम है, परन्तु प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम एवं उपविधियों का शासन द्वारा अनुमोदन आवश्यक है और यदि शासन उन्हे अनुमोदित करती है तो वे लखनऊ विकास प्र क्षेत्र में नोटीफिकेशन के पश्चात लागू किये जा सकते हैं ।

उपरोक्त बिल्डिंग बाईलाज़ जहाँ पर यह पाया गया कि उन विषयों पर उपविधियाँ वैधानिक न होगी, उन विषयों पर धारा-56 के अन्तर्गत विनियम बनाये गये हैं । जिन विषयों पर यह पाया गया कि उपरोक्त बाइलाज़ धारा 57- में निहित बाइलाज़ बनाने की शक्तियों से परे हैं, उन्हे नहीं अपनाया गया है । इसी प्रकार जहाँ पर एक्ट और कमेटी द्वारा तैयार बाइलाज़ में विरोधाभास है या वे ऐक्ट की परिधि के बाहर है, उन्हे नहीं अपनाया गया है । आवश्यकतानुसार कमेटी द्वारा तैयार किये गये बाइलाज़ में संशोधन किया गया है । विनियम केवल धारा 56(2) (जी) में दिये गये विषय पर ही बनाये गये हैं, क्योंकि यह आवश्यक था, और यह बिल्डिंग बाइलाज़ से निकअतम सम्बन्धित विषय हैं ।

उपविधियाँ धारा 57 की उप धाराओं (ए)(जी) एवं (ई) में लिखित विषयों पर बनाई गई है । उपधारा (ई) के अन्तर्गत प्राधिकरण उन विषयों पर उपविधियाँ बनाने में सक्षम है, जो एक की धारा(9) की उपधारा(2) (जी) में जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में दी जानी है ।

उपरोक्त कार्य में विधिक सलाह भालीभाति ली गई है और प्राधिकरण के सलाहकार का नोट भी विचारार्थ प्रस्तुत है ।

इसके अतिरिक्त ऐक्ट में कुछ संशोधन भी शासन के विचारार्थ तैयार किये गये हैं ।

उपरोक्त प्रस्तावित विनियम उपविधियाँ एवं संशोधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हैं । प्राधिकरण उन्हे विचारोपरान्त यदि उचित समझे तो शासन को अनुमोदन के लिये एवं अन्य निर्देश या आदेश के लिये अनुसारित करने की कृपा करें ।

=:=:=:=:=:=:=

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ टिप्पणी

विषय : सेक्टर "एल" अलीगंज आवासीय कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या के घनत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 24-11-79 को यह विषय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने तीन निर्देश दिये थे :-

1- खुली हुई जगह को जनसंख्या से सम्बद्ध किया जाये ।

2- प्रत्येक 160 मीटर मध्यान्तर के बाद 9 मीटर सड़क उपलब्ध कराई जाये, जिसमें सभी सुविधाये उपलब्ध हों ।

3- जनसंख्या का घनत्व तदनुसार निर्धारित किया जाये ।

उपरोक्त निर्णय को आधार रखते हुये सेक्टर "एल" के ले-आउट प्लान को पुन: परिवर्तित कर लिया गया है और खुला स्थान जनसंख्या के आधार पर बढ़ा दिया गया है, जो अब पूरे क्षेत्र का 15·2% आता है, जो निर्धारित 10% से ज्यादा है । सड़क के बनने के बाद दुर्बल आय वर्ग के आवासों के लिये फुटपाथ, जो सड़क से छोटे परन्तु आवासों के आधार पर मूलरूप से हैं, प्रस्तावित किये गये हैं, इनका आकार उपलब्ध उपविधियों से कम है । इस प्रकार ले-आउट प्लान का घनत्व 225·7 व्यक्ति प्रति एकड़ आता है, जो इस क्षेत्र के लिये प्रस्तावित घनत्व से ज्यादा है । अत: पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार फुटपाथ बनाने एवं घनत्व बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाये ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय : अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या के घनत्व में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक 24-11-79 में लिये गये निर्णयों के अनुसार इस क्षेत्र का ले-आउट प्लान इस प्रकार समायोजित किया गया है कि पूर्व वर्ष में बन रहे आवासों को उसी प्रकार रखते हुये दिये गये निर्देशों के अनुसार सड़क और खुले स्थान रखे जायें । उक्त के रखने में समाज के दुर्बल वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के आवासों के साथ फुटपाथ द्वारा यातायात का प्रबन्ध प्रस्तावित किया गया है । छोटे प्लाट्स तथा समाज के दुर्बल वर्ग के आवासों की संख्या आई0एस0 आई0 के आधार पर निर्धारित करने से इस क्षेत्र का घनत्व क्षेत्र के प्रस्तावित घनत्व से बढ़ गया है । अत: निम्न दो विन्दुओं पर छूट अपेक्षित है :-

1- सड़क की चौड़ाई के स्थान पर 15 फुट तथा 20 फुट के फुटपाथों द्वारा आवागमन की अनुमति देना ।

2- 100 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व के स्थान पर 288 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व की छूट प्रदान करना ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विचारार्थ आख्या

विषय : आवास विकास परिषद की तालकटोरा रोड योजना के औद्योगिक क्षेत्र का भू-उपयोग बदलने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा तालकटोरा रोड पर एक वृहद् योजना पूर्व में प्रस्तावित कर कार्यान्वित की जा रही है, जिसका समुचित भाग विकसित किया जा चुका है । उपरोक्त योजना का कुछ क्षेत्र महायोजना के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन के लिये प्रस्तावित है । उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय परिवर्तित करने का आग्रह किया है । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भेजे गये पत्र और उसके साथ संलग्न की गई सूचना जिसमें ग्राम करेंहटा, बिहारीपुर, दरियापुर, गफ़रपुर उर्फ रफ़नुद्दीनपुर तथा सुप्पा के 97.9534 हैक्टेयर भूमि को औद्योगिक से आवासीय उपयोग में परिवर्तितकरने का आग्रह प्राधिकरण के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

इसी क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे औद्योगिक इकाई जो प्रस्ताव रखने से पूर्व बन गई है अथवा जिनके लिये भूमि उपलब्ध की जा चुकी है, उनको औद्योगिक ही बनाये रखने का प्रस्ताव परिषद ने रखा है । इस प्रकार की इकाइयों का क्षेत्र 21.21 हेक्टेयर बताया गया है ।

प्राधिकरण के रिकार्ड को जाँचने के पश्चात् यह तथ्य भी सामने आया है कि ग्राम करेंहटा का सम्पूर्ण क्षेत्र जो भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया है, टाउन इम्प्रूवमेण्ट ~~के लक्ष्य~~ ऐक्ट के तहत् वर्ष 1920-21 में अध्याप्त किया गया था और उक्त में कुछ प्लाट औद्योगिक उपयोग हेतु आवण्टित भी किये जा चुके हैं और इस प्रकार कुछ भाग पर औद्योगिक इकाइयाँ बनी और अन्य खाली हैं । मेसर्स आर्या इण्डस्ट्री का प्लाट इसी क्षेत्र का एक भाग है, जिसका उपयोग परिवर्तन करने हेतु निर्णय प्राधिकरण अपनी पिछली बैठक में ले चुका है ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

कमल पाण्डे
आवास आयुक्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
104महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ।

दि0 31.3.1980

प्रिय श्री गुप्ता,

कृपया अपने पूर्वाधिकारी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी के अर्ध शा0 पत्र संख्या 421(1)/एस.टी.पी./तालकटोरा/एल.डी.ए./1980-8। दिनांक 5.2.80 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो कि श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि मुझे पृष्ठांकित है। जिसमें आपने परिषद की राजाजी पुरम(तालकटोरा) योजना लखनऊ में औद्योगिक से आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने हेतु कुछ जानकारी भेजने हेतु अनुरोध किया है जो कि क्रमवार निम्न प्रकार है:-

(1) जो औद्योगिक इकाइयां पूर्व में स्थित हैं उनकी सूची विवरण सहित मानचित्र के साथ इस आशय से संलग्न की जा रही हैं कि इनकी भू-प्रयोग में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(2) जिस क्षेत्र का कब्जा परिषद को प्राप्त नहीं है परन्तु लैण्डयूज संशोधन अपेक्षित है वह भी विवरण सहित मानचित्र पर दर्शाते हुये संलग्न किया जा रहा है ।

(3) जो उपयोग वर्तमान समय पूर्व में स्थित है वहां पर लैण्डयूज संशोधन अपेक्षित नहीं है ।

उपरोक्त सूचना जसरा, क्षेत्रफल, वर्तमान उपयोग, प्रस्तावित उपयोग मानचित्र सहित दर्शाते हुये दो दो प्रतियों में इस आशय से संलग्न की जा रही है कि आप अपनी संस्तुति शासन को शीघ्र अग्रसारित करने कष्ट करें जिससे कि शासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवनिष्ठ
ह0/-
(कमल पाण्डे)

श्री राधे कृष्ण गुप्ता,
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

प्रिय,

आपके अर्ध शासकीय पत्र संख्या 578/37-3-79 एल.के.वी./आवास अनुभाग-3 दिनांक 22 फरवरी , 1980 के संदर्भ में उपरोक्त संलग्न की एक एक प्रति आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

भवनिष्ठ

(कमल पाण्डे)

श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
आवास अनुभाग-3
उ0 प्र0 शासन लखनऊ ।

उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद की राजाजी पुरम (तालकटोरा) योजना, लखनऊ में महायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक भू-प्रयोग को आवासीय भू- प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव का विवरण

स्थान तथा जिले का नाम	भूखंड संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)	वर्तमान भू-प्रयोग (मास्टर प्लान के अनुसार)	प्रस्तावित भू-प्रयोग
1	2	3	4	5
करेहटा लखनऊ	7पी0	0.0379	औद्योगिक	आवासीय
	8पी0	0.0379		
	9पी0	0.1138		
	11	0.0632		
	12	0.0759		
	13	0.0632		
	14	0.0885		
	15	0.0853		
	16	0.0740		
	17	0.1834		
	18	0.0253		
	19	0.0126		
	20	0.0506		
	21	0.0632		
	22	0.1391		
	23	0.1391		
	24	0.1960		
	25	0.0506		
	26	0.2656		
	27	0.2402		
	28	0.1451		
	29	0.0126		
	30	0.0632		
	31	0.0221		
	32	0.0221		
	33.	0.0280		
	34	0.0348		
	35	0.0638		
	36	0.0632		
	37	0.0253		
	38	0.5185		
	40	0.2276		
	41	0.0695		
	42	0.0885		
	45	0.1612		
	46	0.0790		
	47	0.1296		
	48	0.0189		

.....2.....

1	2	3	4	5
करेहटा लखनऊ	49	0.1897	औद्योगिक	आवासीय
	50	0.1897		
	51 भाग	0.0885		
	53 भाग	0.0980		
	54 भाग	0.0506		
	55 भाग	0.0254		
	56	0.1581		
	57	0.2340		
	58 भाग	0.2195		
	59 भाग	0.1120		
	60	0.2150		
	61	0.1960		
	62	0.1201		
	63	0.0632		
	64	0.0506		
	65	0.0379		
	66	0.0253		
बिहारीपुर लखनऊ	12	0.0031		
	13	0.4964		
	14	0.0398		
	15	0.2984		
	16	0.0537		
	17	0.0664		
	18	0.0379		
	19	0.1011		
	20	0.1644		
	21	0.0942		
	22	0.0898		
	23	0.2390		
24,	25	0.5836		
	26	0.1988		
	27	0.0727		
	28	0.3338		
	29	0.1012		
	30.	0.2023		
	31	0.0379		
	32	0.2782		
	33	0.1012		
	34	0.4426		
	35	0.1264		

1	2	3	4	5
बिहारीपुर लखनऊ	49	0.0632	औद्योगिक	आवासीय
	50	0.1517		
	51	0.1138		
	52	0.3920		
	54	0.1138		
	55	0.3668		
	56	0.4299		
	57	0.3288		
	58	0.0759		
	59	0.0253		
	60	0.2023		
	61	0.1012		
	62	0.0885		
	63	0.4553		
	64	0.632		
	65	0.0632		
	66	0.1644		
	67	0.0379		
	68	0.1138		
	69	0.0379		
	70	0.0253		
	71	0.0253		
	72	0.0632		
	73	0.2529		
	74	0.1012		
	75	0.1391		
	76	0.1012		
	77.	0.2403		
	78	0.4679		
	79.	0.5058		
	80.	0.5058		

1	2	3	4	5
बिहारी पुर लखनऊ	81	0.0759	औद्योगिक	आवासीय
	82	0.0885		
	83	0.2782		
	84	0.0885		
	85	0.0632		
	86	0.2023		
	87	0.1644		
	88	0.1138		
	89	0.1644		
	90	0.2782		
	91	0.1517		
	92	0.0759		
	93	0.5058		
	94	0.1264		
	95	0.2529		
	96	0.1770		
	97	0.1770		
	98	0.0708		
	99	0.1391		
	100	0.1264		
	101	0.1530		
	102	0.1720		
	103	0.2965		
	104	0.2466		
	~~0.2488~~			
	105	0.2428		
	106	0.4299		
	107	0.0518		
	108	0.7841		
	109	0.2023		
	110	0.2276		
	111	0.1264		
	112	0.1890		
	113	0.2384		
	114	0.2150		
	115	0.1770		
	116	0.1897		
	117	0.2150		
	118	0.1890		
	119	0.0208		
	120	0.0777		

1	2	3	4	5
बिहारी पुर लखनऊ	201	0.1644	औद्योगिक	आवासीय
	202	0.0632		
	203	0.1182		
	204	0.2908		
	205	0.2782		
	206	0.6955		
	207	0.2150		
	208	0.3035		
	209	0.0822		
	210	0.0664		
	211	0.1498		
	212	0.5185		
	213 पी०	0.4957		
	214पी०	0.2529		
	215पी०	0.1897		
	216पी०	0.8852		
	217	0.1112		
	218	0.1517		
	219	0.1391		
	220	0.2023		
	221	0.0379		
	222	0.1226		
	223	0.0759		
	224	0.1264		
	225	0.0253		
	226	0.1682		
	227	0.2314		
	228	0.2908		
	229	0.1264		
	230	0.1517		
	231	0.1644		
	232	0.1770		
	233	0.0759		
	234	0.3289		
	235	0.1947		
	236	0.2567		
	237	0.3870		
	238	0.3541		
	239	0.4173		
	240	0.2908		
	241	0.2276		
	242	0.0759		
	243	0.0759		
	244	0.2403		

1	2	3	4	5
बिहारीपुर लखनऊ	245	0.0126	औद्योगिक	आवासीय
	246	0.1492		
	247	0.0607		
	248	0.1770		
	249	0.3035		
	250	0.1517		
	251	0.2403		
	252	0.2150		
	253	0.1138		
	254 पी०	0.1138		
	258पी०	0.0253		
	261पी०	0.2023		
	262	0.1770		
	263पी०	0.2150		
	264पी०	0.1265		
	265	0.2276		
	266	0.1138		
	267	0.2150		
	268	0.2403		
	269पी०	0.1517		
	270 पी०	0.0253		
	276	0.6197		
	277	0.1391		
	278	0.3162		
	279	0.2782		
	280पी०	0.2529		
	282	0.0063		
	283पी०	0.0316		
	291	0.0284		
	292	0.1233		
	293	0.2150		
	294	0.1517		
	295	0.1581		
	296	0.1581		
	297	0.3288		
	298	0.2150		
	299	0.0759		
	315	0.1770		
	316	0.1391		
	317	0.0885		
	318	0.3541		
	319	0.1770		
	320	0.3288		
	321	0.1644		

1	2	3	4	5
बिहारीपुर लखनऊ	322	0.0५058	औद्योगिक	आवासीय
	323	0.5058		
दरियापुर, लखनऊ	1 भाग	0.0809		
	2	0.0759		
	5	0.6450		
	6	0.0126		
	7भाग	0.1012		
	8	0.0948		
	9	0.1770		
	10	0.1897		
	11	0.1037		
	12	0.5 17		
	13भाग	0.0192		
	14भाग	0.0222		
	15भाग	0.0303		
	18भाग	0.0633		
	19	0.4173		
	20	0.1138		
	21	0.4805		
	22	0.1265		
	23	0.1960		
	24	0.1770		
	25	0.1770		
	26	0.0632		
	27	1.0629		
	29	0.6064		
	30	0.0253		
	31	0.2529		
	32भाग	0.2580		
	33	0.0379		
	34	0.6450		
	35	0.2656		
	36	0.0.4300		
	37	0.3541		
	38	0.1391		
	39	0.2409		
	40	0.1802		
	41	0.0417		
	42	0.1555		
	48भाग	0.0104		
	49	0.2656		

1	2	3	4	5
दरियापुर लखनऊ	52भाग	0.0727	औद्योगिक	आवासीय
	53भाग	0.3036		
	54	0.1391		
	55	0.4047		
	56	0.3794		
	57	0.1644		
	59	0.0759		
	76भाग	0.3288		
	77	0.1138		
	78	0.0253		
	79	0.2232		
	80	0.0822		
	81	0.3415		
	86	0.0455		
	87	0.1517		
	88	0.1644		
	89	0.1138		
	90	0.2150		
	91	0.2023		
	92 पी0	1.5935		
	93	0.1321		
	94	0.1258		
	95	0.2150		
	96	0.1675		
	97	0.2055		
	98	0.0910		
	99	0.2782		
	100	0.3288		
	101	0.0309		
	102	0.1644		
	103	0.5640		
	104	0.9485		
	105	0.2333		
	106	0.3414		
	107	0.0759		
	108	0.0202		
	109	0.1264		
	110	0.1264		
	111	0.0253		
	112	0.2384		
	113भाग	0.0696		
	114भाग	0.0126		
	115	0.0885		

1	2	3	4	5
दरियापुर लखनऊ	116	0.3420	औद्योगिक	आवासीय
	117	0.1897		
	118	0.3161		
	119	2.9593		
	120	0.0126		
	121	0.4553		
	122भाग	0.2316		
	124	0.2333		
	125भाग	0.0087		
	126भाग	0.0253		
	127	0.0398		
	128	0.1087		
	129भाग	0.3928		
	130भाग	0.0771		
	131भाग	0.0254		
	132भाग	0.0938		
	133	0.0632		
	134	0.3092		
	135भाग	0.0392		
	137	0.2908		
	138	0.3114		
	146भाग	0.0203		
	147भाग	0.0811		
	148	0.1391		
	149	0.1138		
	150 भाग	0.1610		
	151	0.0822		
	152	0.2023		
	153	0.2023		
	154	0.2023		
	155	0.3060		
	156	0.0885		
	157	0.0569		
	158	0.1321		
	159	0.0253		
	160	0.1770		
	161	0.0505		
	162	0.0505		
	163	0.0569		
	164	0.0607		
	165	0.0141		
	166	0.01062		

1	2	3	4	5
दरियापुर लखनऊ	167	0.2327	औद्योगिक	आवासीय
	168	0.0885		
	169पी0	0.1580		
	170पी0	0.4047		
	171पी0	0.1264		
गफरपुर उर्फ रुकनुद्दीनपुर लखनऊ	118पी0	0.0632		
	127	0.4932		
	129	0.1157		
	130पी0	0.3161		
	131पी0	0.0822		
	136पी0	0.0126		
	138	0.4679		
	139	0.2529		
	140	0.1328		
	145	1.6693		
	146	0.1966		
	147	0.1214		
	148	0.1517		
	149	0.8726		
	150	0.0379		
	151	0.2276		
	152	0.0632		
	153	0.2403		
	154	0.1138		
	155	0.0885		
	156	0.3667		
	157	0.1517		
	158	0.1517		
	158	0.1138		
	160	0.1264		
	161	0.1391		
	162	0.2276		
	163	0.2972		
	164	0.0759		
	165	0.0759		
	166	0.1770		
	167	0.0379		
	168	0.1264		
	169	0.0885		
	170पी0	0.0885		

1	2	3	4	5
गफरपुर उर्फ रुकनुद्दीनपुर लखनऊ	171पी०	0.264	औद्योगिक आवासीय	
	172पी०	0.0126		
	173	0.2276		
	174पी०	0.1897		
	175पी०	0.1138		
	176	0.0126		
	177पी०	0.1265		
	107पी०	0.0758		
	108	0.2908		
	109 पी०	0.1265		
	98पी०	0.0126		
	101पी०	0.0759		
	178पी०	0.1644		
	179	0.0885		
	180	0.1012		
	181	0.1391		
	182पी०	0.1897		
	196पी०	0.3414		
	196पी०	0.3414		
	187/3 पी०	0.0632		
	202	0.0047		
	201	0.0632		
	200	0.3035		
	199पी०	0.1517		
	198 पी०	0.0632		
	203	0.9358		
	204	0.3541		
	205	0.1644		
	206	0.1264		
	208	0.3161		
	209	0.1391		
	210	0.1012		
	211	0.1517		
	212	0.2403		
	213	0.2782		
	214	0.2276		
	215	0.2150		
	216	0.2276		
	217	0.1897		
	218भाग	0.0360		
	219	0.2023		
	220 भाग	0.2657		

1	2	3	4	5
गफरपुर उर्फ उकनुद्दीनपुर लखनऊ	232 भाग	0.2214	औद्योगि	आवासीय
	237भाग	0.3479		
	238भाग	0.0873		
	240	0.4806		
	24 भाग	0.0379		
	268भाग	0.0758		
	269	1.8717		
	270	0.0594		
	271 भाग	0.2782		
	272भाग	0.6576		
	273	0.1644		
	274भाग	0.1265		
	278	0.2403		
	279	0.3648		
	196भाग	0.0759		
	242भाग	0.053		
	280	0.1492		
	281	0.2308		
	282	0.1644		
	284 भाग	0.1416		
	285	0.0569		
	286	0.1201		
	287	0.0284		
	288	0.1808		
	289	0.2251		
	291	0.0284		
	292	0.0316		
	293	0.0499		
	294	0.6835		
	295	0.0968		
	296	0.0253		
	297	0.3161		
	298	0.7651		
	299	0.1264		
	277पी0	1.1003		
सुप्पा, लखनऊ	264	1.2647		
	264/22	0.3351		
	264/23	0.1517		
	264/24	0.0885		
	264/25	0.0442		
	143	0.2636		
	154	0.0632		
	265	0.3566		
	योग	197.9534 हैक्टर		

औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध औद्योगि संस्थायें ,स्थत तालकटोरा रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, तालकटोरा , लखनऊ

क्र० सं०	औद्योगिक संस्था का नाम	स्थान तथा जिले का नाम	ब्लाक सं०	भूमि का क्षेत्रफल (हे०में)	वर्तमान भू-प्रयोग मास्टर प्लान के अनुसार	प्रस्तावित भू-प्रयोग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पेट्रोल पम्प	करेहटा लखनऊ	10	0.2142	औद्योगिक	औद्योगिक	धारा 28 के प्रकाशन के पश्चात का निर्माण कब्ज से बाहर
2.	कोल्ड स्टोर		39	0.0632			
3.	सी०डब्लूसी०फैक्ट्री (वी.सी. मेटल. वर्क्स)		43	0.1896			
			44भाग	0.1517			
			51भाग	0.0885			
			52भाग	0.1643			
4.	पावर हाउस		53भाग	0.0094			
			54भाग	0.0379			
			55भाग	0.0018			
			56भाग	0.0505			
			57भाग	0.0884			
		दरियापुर लखनऊ	42	0.2403			
			43	0.1391			
			44	0.2656			
			45	0.0316			
			46	0.0468			
			48भाग	0.0105			
			50	0.1378			
			51	0.1011			
			52भाग	0.0726			
			53भाग	0.1518			
			58	0.5596			
			60	0.2934			
			61	0.2276			
			62	0.3161			
			63	0.0506			
			64	0.1897			
			65	0.2529			
			66	0.2529			
			67	0.1897			
			68	0.4806			
			69	0.1890			
			70	0.1012			
			71	0.1391			
			72	0.0759			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	पावर हाउस	दरियापुर, लखनऊ	73	0.2782	औद्योगिक	औद्योगिक कब्जे से बाहर	
			74	0.2782			
			75	0.1897			
			76 भाग	0.1644			
5.	बरफखाना		28 भाग	0.2391			
			32 भाग	0.2668			
6.	सरियामिल		28 भाग	0.7605			
7.	सुखीमिल		82	0.0537			
			83	0.2137			
			84	0.0739			
			85	0.1201			
8.	भारतीय खाद्यनिगम	जफरपुर ऊर्फ रुकनुद्दीनपुर लखनऊ	206	0.0632			
			207	0.0632			
			218 भाग	0.1181			
			220 भाग	0.1390			
			221	0.2655			
			222	0.2401			
			223	0.2054			
			224	0.2909			
			225	0.3541			
			226	0.3516			
			227	0.2656			
			228	0.1644			
			229	0.5311			
			230	0.1011			
			231	0.6702			
			232 भाग	0.2212			
			233	0.2522			
			234	0.2276			
			235	0.0885			
			236	0.2529			
			237 भाग	0.1257			
			238 भाग	0.2668			
			239	0.1644			
			283	0.0158			
			284 भाग	0.0354			
9.	भारतीय खाद्य निगम	दरियापुर लखनऊ	1 भाग	0.3238			
			3	0.0474			
			4	0.0758			

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	भारतीय आईयनिगम दरियापुर	लखनऊ	7भाग	0.1264	औद्योगिक	औद्योगिक कब्जे से बाहर	
			13भाग	0.0383			
			14भाग	0.0663			
			15भाग	0.1214			
			16	0.1012			
			17	0.2403			
			18भाग	0.1390			
			113भाग	0.2529			
			114	0.0279			
			122भाग	0.0385			
			122भाग	0.1264			
			123	0.2744			
			124भाग	0.0063			
			125भाग	0.0261			
			126भाग	0.0885			
			129भाग	0.0436			
			130भाग	0.0386			
			131भाग	0.0739			
			132भाग	0.1876			
			135भाग	0.0 999			
			136	0.1770			
			139	0.2782			
			140	0.2276			
			141	0.1454			
			142	0.1075			
			143	0.2403			
			144	0.0505			
			145	0.3541			
			146भाग	0.0202			
			147भाग	0.0162			
			150भाग	0.0179			
9.	सेन्ट्रलवेयर हाउसिंग कारपोरेशन	बिहारी पुर लखनऊ	36	0.3035			
			37	0.2524			
			38	0.1770			
			39	0.1898			
			40	0.0379			
			41	0.1770			
			42	0.1898			
			43	0.0253			
			44	0.0506			
			45	0.1012			
			46	0.0506			
			47	0.0379			
			48	0.0632			
			योग	21.2100			

विषय संख्या- 16

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ टिप्पणी

विषय : अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी की तथाकथित भूमि से सम्बन्ध में ।

नरेन्द्र नगर सहकारी गृह निर्माण समिति का मामला अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है :-

1- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित की गई थी और सर्वप्रथम इस अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62 को इसके अर्जन हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी ।

2- तदुपरान्त नगर महापालिका अधिनियम की धारा 363(1)(a) व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत विज्ञप्तियाँ जारी होकर अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

3- नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का रजिस्ट्रेशन अगस्त 12, 1960 को हुआ और इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 1737 है ।

4- जिस समय सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय सोसायटी के पास कोई भूमि नहीं थी । कुछ व्यक्तियों ने सोसायटी के गठन के पूर्व और कुछ ने सोसायटी के गठन के बाद अपने-अपने नामों से जमीन खरीदी एवं तदुपरान्त ये लोग सोसायटी के सदस्य बन गये ।

5- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भूमि सोसायटी से नहीं अर्जित की गई है, बल्कि जिन व्यक्तियों ने तथाकथित भूमि सोसायटी के गठन के पूर्व या बाद में खरीदी थी, उनसे अर्जित की गई है ।

6- सोसायटी के नाम जो भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह इस योजना के नोटीफिकेशन के बाद का है । सोसायटी की तथाकथित भूमि सोसायटी के पक्ष में, जो रजिस्ट्रेशन योजना विज्ञप्ति के बाद हुआ है, उसका कुल बीघा 16-18-5-0 है ।

7- लगभग सभी भूमि का कब्जा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया गया और एवार्ड भी घोषित हो चुके हैं ।

8- इस प्रकार भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित हो चुका है । सोसायटी की तथाकथित भूमि पर दो कमरे तथा तीन कमरे वाले भवनों का निर्माण हो चुका है । इसी की कुछ भूमि पर योजना के बाजार का भी निर्माण किया जा चुका है तथा कुछ खेत्रफल भूखण्ड बनाकर आवण्टित किये जा चुके हैं । इस प्रकार से अब विकास प्राधिकरण के पास सोसायटी की तथाकथित भूमि उपलब्ध नहीं है ।

9- सोसायटी की भूमि छोड़ने से सम्बन्धित मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-11-77 में पेश हुआ था जिसमें निम्न निर्णय लिया गया :-

क्रमशः - - - 2.

"नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी के केस पर विचार किया गया और पाया गया कि सोसायटी का रजिस्ट्रेशन सन् 1960 में हुआ । किन्तु सोसायटी ने भूमि योजना के अध्यापन के बाद क्रय किया है और भूमि क्रय 1962 से 1972 तक जारी रहा। प्राधिकरण ने पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् उचित समझा कि इस सोसायटी को भूमि आवण्टित करने में विशेष व्यवहार करना औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा ।"

उपरोक्त परिस्थितियों में सोसायटी की तथाकथित अधिगृहीत भूमि के बदले अन्य भूमि दिये जाने का प्राधिकरण ने औचित्य नहीं पाया है ।

10- अलकापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि से सम्बन्धित मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-73 में पेश किया गया था तथा निम्न निर्णय लिया गया था :-

"अलकापुरी गृह निर्माण समिति लिमिटेड को 57 प्लाट 1800 वर्ग फुट प्रति भूखण्ड के हिसाब से अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना की प्रचलित दर पर सेक्टर "जी" में आवण्टित कर दिये जायें ।"

इस क्रम में उक्त समिति की स्वीकारोक्ति (एक्सेप्टेन्स) दिनांक 31-12-73 से पूर्व देने हेतु लिखा जाय अन्यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण उक्त भूमि को निष्कासनुसार निस्तारित कर सकेगा ।"

तदनुसार समिति को विकसित भूखण्ड योजना की दर पर दिये गये हैं एवं उनकी अर्जित भूमि का प्रतिकर सुलहनामे के आधार पर 69.99 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से दिया गया है ।

11- शासन ने अपने आदेश दिनांक संख्या 110/37-2-41 अ0शा0/71 दिनांक 6 मई, 1976 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि भूमि अध्याप्ति अधि एवं विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकसित प्लाटों में से 25% प्लाट केवल उन्हीं सहकारी आवास समितियों को आवण्टित किये जायें, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने को तैयार हों :-

1- सहकारी आवास समितियाँ जो उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ से सम्बद्ध हों ।

2- सहकारी समितियाँ जो आवास संघ से मकानों के निर्माणार्थ ऋण लेने को तैयार हों ।

3- सहकारी आवास समितियाँ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या सम्बन्धित विकास प्राधिकरण जिससे भी उनको भूमि आवण्टित की गई हो, के पास आवास संघ से प्राप्त ऋण की धनराशि जमा करके मकानों का निर्माण कराने को तैयार हो ।

अथवा 4- सहकारी आवास समितियाँ निर्मित मकान आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण से क्रय करने को तैयार हो ।

अलकापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले में लिये गये निर्णय एवं शासन के उक्त निर्देश दिनांक 19-1-80 को ध्यान में रखते हुये आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेशानुसार यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष पुन: विचारार्थ प्रस्तुत है ।

क्रमश:- - -3-

संलग्नक: शासनादेश ।

प्रतिलिपि शासकीय पत्र सं0-110/37-2-41आ0सं0/71 दिनांक 6 मई, 1976
प्रेषक- श्री गिरीश चन्द्र अस्थाना, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन । सेवा में-
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण (प्रशासक नगर महापालिका) लखनऊ, कानपुर/
आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी । (2) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं
विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ ।

- : 0 : -

आवास अनुभाग-2

विषय : भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकसित प्लाटों में से 25% प्लाट सहकारी आवास समितियों के लिये आरक्षित रखने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर हालिए में उल्लिखित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकसित प्लाटों में से 25% प्लाट केवल उन्हीं

1-5577स/37-41आ0सं0/71, दिनांक 25-10-71 2-1940/37-2-41आ0सं0/71, दिनांक 29-5-1972 3- 2301/37-2-41आ0सं0/71 दिनांक 16-9-75	सहकारी आवास समितियों को आवण्टित किये जायें, जो निम्न

लिखित शर्तें पूरी करने को तैयार हों :-

1- सहकारी आवास समितियाँ जो उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ से सम्बद्ध हो ।

2- सहकारी समितियों जो आवास संघ से मकानों के निर्माणार्थ ऋण लेने को तैयार हो ।

3- सहकारी आवास समितियाँ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या सम्बन्धित विकास प्राधिकरण जिससे भी उनको भूमि आवण्टित की गई हो, के पास आवास संघ से प्राप्त ऋण की धनराशि जमा करके भवनों का निर्माण कराने को तैयार हों ।

4- अथवा सहकारी आवास समितियाँ निर्मित मकान आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण के क्रय करने को तैयार हो ।

भवदीय
ह0/- गिरीश चन्द्र अस्थाना
अनुसचिव

संख्या- 110(1)/37-2-41आ0सं0/71

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सचिव, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0, 28 ख्यालीगंज, लखनऊ ।
2- निवास अनुभाग-1

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र अस्थाना
अनु सचिव

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
भूमि अर्जन विभाग,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ ।

संख्या-175/भू0अ0/दो-675(76-77) दिनांक 20-5-1976

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- कार्य निदेशक (मुख्यालय)
2- मुख्यालय स्थित सम्बद्ध विभागों के इंचार्ज अधिकारी,
3- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ।
4- समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक, निर्माण खण्ड ।
5- समस्त सहायक अभियन्ता, उपखण्ड ।

ह0/- ज्ञानेन्द्र नाथ जौहरी
सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

698-सहकारिता-2अन्य प्राप्तियाँ(4)-
अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ ।

- : 0 : -

लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आदेश

विषय:- नक्खास योजना में चिड़िया बाजार के समीप के कुछ क्षेत्र को अर्जन से मुक्त एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में भवन-चित्रों की स्वीकृति के संबंध में पालिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक दिनांक 22.12.79 में मद संख्या 14 द्वारा निम्न निर्णय लिया था ।

"उक्त भूखन्ड को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करके शापिंग काम्पलेक्स बनाने की अनुमति दी जाती है ।"

उपरोक्त निर्णयानुसार अर्जन से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर लिए गये थे तथा जिलाधिकारी लखनऊ को भूमि अधयाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक नोटीफिकेशन शासन से जारी कराने हेतु प्रेषित है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के अन्तर्गत दो भवन चित्र एक श्री कासिम अतीतवा दूसरा श्रीमती बज्जो बेगम का भवन विभाग में क्रमश: वर्ष 1976 व 1979 से विचाराधीन है । अल्पसंख्यक आयोग एवं कुछ स्थानीय नेता इस बात पर लगातार बल दे रहे हैं कि उक्त भवन चित्रों को तुरन्त स्वीकृत कर दिया जाये ।इस संबंध में श्री एम0ए0 तारी भूतपूर्व सदस्य विकास प्राधिकरण लखनऊ का पत्र दिनांक 29-4-80 अवलोकनीय है ।

इस संबंध में क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया तथा यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत भूमि को अर्जन करने से कोई विशेष लाभ न होगा । अत: अर्जन कार्यवाही से मुक्त करने हेतु प्राधिकरण से संस्तुति की जाती है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण के उपरोक्त पारित प्रस्ताव संख्या 14 दिनां 22.12.79 को उक्त हद तक संशोधन हेतु यह मामला विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

प्राधिकरण से यह भी निवेदन है कि यह भी निर्णय लेने का कष्ट करें कि जिन स्थानों पर प्राधिकरण द्वारा अर्जन की कार्यवाही प्रस्तावित हो उन पर भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत भवनचित्र स्वीकृत किए जायें अथवा नहीं ।

विषय: शहर के मध्य बटलरगँज स्कीम के भूखाण्ड सँख्या 10 की भूमि का अर्जन ।

=x=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण लखनऊ ने अपनी बैठक दिनाँक 22-12-79 में विषय सँख्या 12 व्दारा उक्त विषय के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि विषय सँख्या-11 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय ।

विषय सँख्या 11 पर शहर के मध्य बटलरगँज स्कीम के भूखाण्ड सँख्या 23 की भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण ने निम्न निर्णय लिया था ।

"" विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्भावत: इस भूमि पर आवास एवँ विकास परिषाद ने भी कोई योजना बनाई है । अत: पहले उत्तर प्रदेश आवास एवँ विकास परिषाद से मालूम कर लिया जाये और यदि उनकी वहाँ कोई स्कीम नहीं है तो प्रस्तावानुसार अर्जन की कार्यवाही की जाये ""

निर्णयानुसार आवास आयुक्त को जानकारी हेतु लिखा गया था । अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत, उ0प्र0आवास एवँ विकास परिषाद ने आवास आयुक्त को सम्बोधित अपने पत्र सँख्या-1208/वाई-29/21 दिनाँक 2-4-80(प्रतिलिपि सँलग्न(व्दारा यह सूचित किया है कि उपरोक्त योजना परिषाद व्दारा धारा 28 के अर्न्तगत स्वीकृत हो चुकी है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आयुक्त एवँ सचिव आवास उ0प्र0शासन के कक्षा में आवास एवँ विकास परिषाद के अधिकारियों के भूखाण्ड सँख्या- 10 पर प्राधिकरण अपनी योजना कार्यान्वित न करें बल्कि इस भूखाण्ड पर आवास परिषाद अपनी योजना चलायेगा ।

चूकिँ उपरोक्त भूखाण्ड पर योजना चलाने हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनाँक 22-12-79 में निर्णय ले लिया था इस xxxxx लिये उपरोक्त परिस्थितियों में इस योजना को ड्राफ करने हेतु यह मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

=======:::::0000:::::::========

एम/आरxxx

प्रेषाक:

अधीक्षाक अभियन्ता,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषाद,
ल खा न ऊ ।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
भूमि अर्जन अनुभाग,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषाद,
104-महात्मा गाँधी मार्ग,लखानऊ ।

पत्राँक: 1208/वाई-29/21 दिनाँक 2-4-80

विषाय: बटलरगँज स्थिति भूखाण्ड सँख्या-10 पर आवासीय योजना चलाने के सम्बन्धा में ।

महोदय,

उपरोक्त विषाय पर कृपया अपने पृष्ठाँकन सँख्या-7858(1)/भू0अ0/दो 62(79-80) दिनाँक 28-3-80 का अवलोकन करें । भूखाण्ड सँख्या-10 बटलरगँज लिखाा गया है को राज्य सरकार की ओर से क्रय करने का विकल्प परिषाद व्दारा लिया जा चुका है व कार्यालय आदेशा सँख्या-5115(11)भू0अ0/दो-951(79-80) दिनाँक 26-10-79 के व्दारा उस भूमि को क्रय करने के लिये रू0 4 लाखा 70 हज़ार की धानराशि स्वीकृति की जा चुकी है । तदोपरान्त उपरोक्त योजना परिषाद व्दारा धाारा-28 के अर्न्तगत भी स्वीकृत हो चुकी है व पत्र सँख्या- 7111(11)/भू0अ0/दो-951(79-80) दिनाँक 7-2-80 के व्दारा आपने उपरोक्त योजना को दिनाँक 24-11-79, 1-12-79 तथाा 8-12-79 को प्रकाशित करने के आदेश सहायक निर्देशक, प्रचार एवं जनसम्पर्क को दिये हैं ।

भवदीय,

(एस0पी0बन्सल)
अधीक्षक अभियन्ता

प0स0 1208/उपरोक्त

प्रतिलिपि: सचिव,लखानऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित । उपरोक्त योजना परिषाद व्दारा परिषाद अधिनियम की धारा-28 के अर्न्तगत लिये जाने की स्वीकृति पुदान की जा चुकी है व शासन ने भी उपरोक्त योजना को उ0प्र0आवास एवं विकास परिषाद व्दारा चलाये जाने के आदेश पारित कर दिये हैं ।

ह/0------
2-4-80
(एस0 पी0 बन्सा)
अधीक्षाण अभियन्ता

एम/आरxxx

विषय: श्री हरीश रस्तोगी, मालिक पंचशील के प्रार्थनापत्र दिनांक 29-7-79 तथा 13-5-1980 जिसमें उन्होने निवेदन किया है कि सरोजनी-नायडू पार्क में उनसे बकाया धनराशि को जमा कराकर व उनके विरूद्ध दायर बेदखली के मुकदमें को उठाकर लाइसेन्स पुन: रिस्टोर कर दिया जाए, पर विचार ।

=x=x=x=x=x=

सर्व प्रथम जी0ओ0 नम्बर 4630एच0/एक्स, एक्स 7-64(ब)/64 दिनांक सितम्बर, 1965 व्दारा श्री एल0पी0भार्गव को सरोजनी नायडू पार्क में 21,00 वर्ग फुट भूमि तीन साल के लिये रू0 300/- प्रतिमास किराये पर चाय, कोल्ड रिफरेशमेन्ट बेचने के लिये दिया गया था । इसके उपरान्त श्री भार्गव ने श्री के0सी0रस्तोगी तथा श्री हरीश रस्तोगी को कब्ज़ा दे दिया । दिनांक 15-9-1964 को एक ऐग्रीमेन्ट विभाग तथा श्री रस्तोगी को करना था जो नहीं किया गया । भूमि को खाली कराने एवं बकाये की वसूली करने की वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी । यह कार्यवाही इविक्शन ऐण्ड रिकवरी आफ रेन्ट ऐण्ड डैमेजेज़ ऐक्ट 1959 के अन्तर्गत की जा रही थी । जिसे एच0सी0 ने अल्ट्रावारिस कर दिया । अन्त में निर्णय लिया गया और इनके विरूद्ध सिविल सूट दायर किया गया । शासन से इस सम्बन्ध में स्वीकृति माँगी गई किन्तु शासन ने आज्ञा नहीं प्रदान की । बकाया इनके विरूद्ध बढ़ता गया । प्रशासक के आदेश दिनांक 10-7-73 के अनुसार प्रेसक्राइब्ड अथार्टी के न्यायालय में दिसम्बर 1973 में मुकदमा दायर किया गया । शासन ने अपने पत्र संख्या 1497 एन0/9-2-64एन/63, दिनांक 16 मई 1973 व्दारा मुकदमा दायर करने के लिये अनुमति दे दी । प्रशासक के आदेश दिनांक 24-3-1975 व्दारा यह निर्णय किया गया कि किराया रूपया 150/- कर दिया जाये तो श्री रस्तोगी मान जावेगें और तद्नुसार वसूली की जावेगी । न्यायालय का वाद समझौता करके वापस कर लिया जायेगा और वयकल्पित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा । तदानुसार इस मामले में कार्यवाही की गयी कि श्री रस्तोगी रू0 5,150/- की धनराशि जमा कर दे, तब श्री रस्तोगी से बकाया धन माँगा गया तो उन्होने 30 जनवरी, 1976 तक का समय माँगा । श्री रस्तोगी पर 24-2-1976 तक बकाया रूपया 12,885/- था । इसी समय श्री रस्तोगी ने रूपया 5,000/- का चेक दिया था वह बैंक से बिना कैश हुए वापस आ गया । इन्हे नोटिस बकाया धन की वसूली हेतु दी गयी किन्तु उन्होने लेने से इन्कार किया इस पर उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 6-10-76 सिलवर ओक रेस्टोरेन्ट का आवन्टन तथा ऐग्रीमेन्ट निरस्त कर दिया और रू0 10135/- की वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की गयी । श्री रस्तोगी के दोड़ धूप करने पर शासन ने अपने पत्र संख्या-6879/19-2-76-64 न/64 दिनांक दिसम्बर, 1976 व्दारा एक और मौका देते हुए यह निर्णय लिया कि शेष किराये की धनराशि की वसूली रू0 500/- प्रतिमास की दर से किया जाये तथा आगामी किराये की वसूली नियमानुसार जारी रखी जाये । श्री रस्तोगी ने पुन: आदेशों का उल्लंघन किया तथा

क्रमश:----2

भुगतान नहीं किया । इस कारण मु0 10835/- दिनाँक 30-4-80 तक अवशेष दान बकाया रहा । इन्हे नोटिस दिया गया तो लेने से इन्कार किया । श्री रस्तोगी पर रुपया 12,685/- किराया अवशेष नवम्बर 1978 तक था ।

कार्यालय आख्या दिनाँक 14-2-79 पर नजूल अधिकारी के आदेश दिनाँक 19-2-79 व्दारा ऐग्रीमेन्ट निरस्त किया गया तथा आदेश दिये गये कि बकाये की वसूली व भूमि खाली कराने की कार्यवाही की जाये । आदेशों के अनुपालन में न्यायालय में श्री रस्तोगी के विरुध्द लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से वाद दायर कर दिया गया था तथा अदम पैरवी में दिनाँक 21-4-1980 को खारिज हो गया था । परन्तु इस वाद को न्यायालय ने अपने आदेश से पुन: रिस्टोर कर दिया ।

अदम पैरवी में मुकदमा खारिज होने का फायदा उठाते हुए श्री रस्तोगी ने दाहिनी ओर रखे पत्र व्दारा सूचित किया कि जो मुकदमा प्रेसक्राइब्ड अथार्टी के यहाँ चल रहा था था खारिज हो गया है । अत: जो भी दान बकाया निकलता है उसे जमा करा लिया जाये तथा उनकी लाइसेन्स रिस्टोर कर दिया जाये ।

यह भी उल्लेखनीय है कि इजाज़त नामा की शर्तों का खुला उल्लंघन करते हुए श्री रस्तोगी ने इस भूमि पर पान का स्टाल रखा दिया था । इन्होने इसी स्थान पर ट्रैवलिंग एजेन्सी स्थापित की जिसका इन्हे अधिकार न था । इन्होने आवन्टन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसी भूमि को रेस्टोरेन्ट चलाने हेतु एक दूसरे व्यक्ति को सबलेट भी कर दिया था ।

अधिवक्ता की आख्या दिनाँक 2-5-80 के अनुसार मुकदमा पुन: स्थापित हो गया और न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री हरीश रस्तोगी के मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिये विषय विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत है ।

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

विषय: आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइज़ेशन को अलीगंज नगर एवं सड़क प्रसार योजना फेज़-2 में 5 एकड़ भूमि तथा कानपुर रोड योजना में 50 एकड़ भूमि का आवन्टन ।

-:-:-:-:-:-:-

आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइज़ेशन ने निवेदन किया था कि उन्हे सेवा निवृत सैनिकों के लिये लखनऊ में आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये तत्काल 5 एकड़ भूमि की आवश्यक्ता है तथा 50 एकड़ भूमि की आवश्यक्ता उन्हे इसी वर्ष बाद में पड़ेगी । तदानुसार उक्त अधिकारियों को मौके पर उक्त दोनों योजनाओं का निरीक्षण कराया गया । निरीक्षण के उपरान्त आर्मी अधिकारियों ने इन योजनाओं में भूमि के आवन्टन की ईच्छा व्यक्त की । तदानुसार अलीगंज योजना के फेज़-2 में 5 एकड़ भूमि के लिये रू0 7-50 प्रति वर्ग फुट की दर से तथा कानपुर रोड योजना में रू0 7-40 प्रति0 वर्ग फुट की दर से दाम की माँग की गई जिसपर आर्मी अधिकारियों ने आपत्ति की है । आयुक्त एवं सचिव,आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनाँक 25-5-80 में उन्होंने यह व्यक्त किया कि भूमि की माँगी गई कीमत बहुत अधिक है । चूंकि यह कीमतें विकसित प्लाट्स की हैं । परन्तु जो भूमि संस्था को दी जा रही है वह प्लाटेड एरिया के रूप में नहीं है, बल्कि उसमें केवल बाहरी विकास ही हुआ है, कोई आन्तरिक विकास नहीं हुआ है । उक्त बैठक में सचिव,आवास ने यह विचार व्यक्त किया, " चूंकि यह संस्था सैनिकों के कल्याण के लिये बनाई गई है, अस्तु इस संस्था को बिना हानि लाभ के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाये । प्लाटेड एरिया का मूल्य लेना उचित न होगा तथा उक्त भूमियों का मूल्य उनसे निम्न आधार पर लिया जाए :-

1- भूमि अर्जन का मूल्य
2- बाहरी विकास का मूल्य
3- ब्याज
4- प्रशासनिक व्यय ।

प्राधिकरण द्वारा अभी तक शासकीय विभागों को जो भी भूखण्ड आवन्टित किये गये हैं वह प्लाट्स के लिये निर्धारित दरों पर ही आवन्टित किये गये थे । चूंकि यह भूमि सैनिकों के कल्याण के लिये आवन्टित की जा रही है अस्तु प्रस्तावित है कि उक्त संस्था को उपरोक्त वर्णित दशा में भूमि प्लाटेड एरिया रेट पर न देकर उपरोक्त आधार पर दर निकाल कर दे दी जाये ।

======::::::0000::::::======

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : अलीगंज योजना में लीजरेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या-5 पर हुये निर्णयानुसार गठित उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या-5 के अन्तर्गत लीजरेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक उपसमिति का गठन किया था, जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य एवं श्री एस0पी0 गुप्ता, वित्त-सचिव थे । उक्त उपसमिति द्वारा लीजरेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी गई है, वह प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

उप समिति की रिपोर्ट

लीज रेण्ट के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं हाउसिंग बोर्ड में प्रचलित लीजरेण्ट की दरों का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है :-

कानपुर विकास प्राधिकरण : रू0 10,000/- भूमि के प्रीमियम तक रू0 5/- वार्षिक तथा इससे अधिक प्रीमियम पर रू0 10/- वार्षिक लीज रेण्ट ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण :

नगर पालिका सीमा के अन्दर शहर के छोर पर निम्न लीजरेण्ट होगा:-

रू0 5/-	प्रति 100 वर्ग गज	प्रथम 15 वर्ष हेतु
रू0 10/-	प्रति 100 वर्ग गज	अगले 15 वर्ष हेतु
रू0 15/-	प्रति 100 वर्ग गज	30 वर्ष समाप्ति के पश्चात्
रू0 20-50 पै0	प्रति 100 वर्ग गज	60 वर्ष के बाद ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण :

प्लाट की रजिस्ट्री के उपरान्त प्रथम पाँच वर्ष तक एक वार्षिक एवं तदुपरान्त प्रीमियम का 2·5 प्रतिशत वार्षिक लीजरेण्ट ।

हाउसिंग बोर्ड :

प्लाट के प्रीमियम का ·125 प्रतिशत वार्षिक लीज रेण्ट ।

उपरोक्त दरों पर विचार विमर्श के उपरान्त यह तय हुआ कि वर्तमान समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चार्ज किये जा रहे भूमि के लीज रेण्ट की दर अधिक है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त उपरोक्त विकास

क्रमशः- - --2·

प्राधिकरणों एवं हाउसिंग बोर्ड द्वारा लागू लीज रेण्ट की दरें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लागू लीज रेण्ट की दरों से बहुत कम हैं ।

अत: यह निश्चय किया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित दरें रखना उचित होगा :-

प्रथम 30 वर्ष	-	प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत
द्वितीय 30 वर्ष	-	प्रीमियम का 1.0 प्रतिशत
तृतीय 30 वर्ष	-	प्रीमियम का 1.5 प्रतिशत ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दर से जो लीजरेण्ट की धनराशि निकलती है, उसे अगले पाँच रुपये तक राउण्ड-अप कर दिया जाये ।

उपरोक्त प्रस्तावित दरें जब से प्रीमियम का 1% लिया जा रहा है, उस तिथि से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की जायें तथा लीजरेण्ट की उपरोक्त प्रस्तावित दरें सभी प्रकार के भूखण्डों पर समान रूप से लागू की जायें ।

- : 0 : -

दीक्षित /-

विषय: राम किशन मिशन को आवन्टित भूखण्ड संख्या- बी-81, बी-82/1, बी-82/2, स्थित टी0जी0नार्थ चांदगंज योजना के लीज़होल्ड राइट्स को समाप्त करके राम कृष्ण मठ को लीज़ पर पट्टा देने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=

भूखण्ड संख्या बी-81, बी-82/1, बी-82/2 §2,11217 वर्ग फु0§ स्थित टी0जी0नार्थ चांदगंज योजना में स्थित राम किशन मिशन को वर्ष 1962 में रु0 1/- टोकन वार्षिक लीज़रेन्ट पर चेरेटेबुल वेलफेयर सर्विसिज़ के प्रयोजन हेतु दिया गया था ।

राम कृष्ण मिशन उक्त भूखण्डों को राम कृष्ण मठवेल्यूर जिला हावड़ा के पक्ष में हस्तान्तरण करना चाहते हैं ।

राम कृष्ण मिशन विभिन्न प्रकार के वेलफेयर सर्विसिज़ करता है तथा राम कृष्ण मठ धर्म और उपदेश पर बल देता है । यह विषय शासन के विचारार्थ दिनांक 15-4-80 को भेजा गया था । शासन ने अपने पत्र दिनांक 19-5-80 व्दारा सूचित किया है कि राम कृष्ण - मिशन उक्त भूखण्डों को प्राधिकरण के पक्ष में यदि समर्पित कर देते हैं तो भूमि का स्वामित्व पुन: विकास प्राधिकरण में निहित हो जायेगा तथा विकास प्राधिकरण व्दारा उक्त भूमि को पुन: राम कृष्ण-मठ को पट्टे पर दिया जा सकता है ।

उपरोक्तानुसार मे0राम कृष्ण मिशन से ड्राफ्ट सरेन्डर डीड तथा ड्राफ्ट फ्रेश डीड भेजने को कहा गया था जो प्राप्त हो गये हैं और उनको प्राधिकरण के वकील व्दारा वेट करा लिया गया है । उक्त भूमि मे0राम किशन मठ निम्नलिखित प्रयोजन हेतु चाहते हैं:- विद्यालय, विश्वविद्यालय, वर्कशाप, लाइब्रेरी, अस्पताल,अनाथालय, रीडिंग रूम आदि ।

कृपया प्राधिकरण निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेने का कष्ट करें:-

1- मे0राम कृष्ण मठ को भूमि कितनी वार्षिक लीज़ रेन्ट दर पर दी जाये ?

2- भूमि का प्रीमियम क्या लिया जाये ?

= = = =::::0000:::: = = = =

एम/आर xxx

PROPERTY OFFICER,

I have gone through the 2 Deeds,but before they are executed by L.D.A. the following needs consideration:

What will be the terms and conditionrelating to premium if any and has rent and also to the purpose and user? If the Lease to the Math is to be given on the same terms and conditions under which it was with the RamKrishna Mission, then there is no objection to the mentioning of the words'' on the same terms and conditions'' If these words are mentioned in the Deed of Surrender, then the L.D.A. will have to execute the Lease deed in favour of Math on the same terms and conditions and in the event of failure on ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ the part of L.D.A., the Math can get such a Deed executed through a court of Law on a suit for Specific performance. This question is of Paramount importance and is to be decided even before execution of Deed of Surrender.

The Government in its letter dt. 19.5.80 has kept this question wide open.

The Deed of surrender is in order except above points. The draft Lease deed contains an Arbitration clause on the point of deviation and breach of building bye laws etc. , this clause effects the powers of V.C. and Chairman under the Urban Planning and Development Act, and requires deletion. The Purpose of the proposed Deed is for '' Charitable, despensary, library, reading room or allied buildings'' and Park, The Terms is 30 years with option s of two renewals.
The annual baserent is Rs. one.

Further, there resolution of Mission mentions '' Transfer by the Government'' and Surrender to Government'' but in fact this is to be done by L.D.A. This appears to be on account of an inadvertance but the Math may be asked to clarify.

This land appears to be a Nazul land, which presumably was transfered to Nagar Mahapalika(Vikas) for Chand ganj Scheme purposes, and the Land now vests in the L.D.A. and L.D.A. is competent to accept . The Surrender and give it on Lease to Math. Mr. Kaul be requested to woh vito this aspect and clarify it.

The two deeds are vetted subject to above. The decision of the Authority on the above point, if need be will be incorporated in the Deeds at the time of execution.

Sd/Jai Karan Nath,
Advocate,
16-7-80

Monograme
Phone: 23337
24694

TONO: 68

RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAM
Vivekanand Puri,
Lucknow-7

July 9, 1980.

The Vice chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow

Sir,

Surrender of lease of plot Nos. B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 in Chandganj, Niralanagar, Lucknow, by Ramakrishna Mission to the Lucknow Development Authority to enable the lease to be granted of the same 4 plots to Ramakrishna Math, Belur, District Howrah, West Bengal.

Kindly refer to the correspondence on the subject noted above, resting with our letter dated June 4, 1980, and my discussion with you and your officers on July 5,1980, I am enclosing a copy each of the Deed of Surrender of lease by Ramakrishna Mission, Belur, District Howrah, west Bengal, in favour of the Lucknow Development Authority, and of the Deed of lease by the Lucknow Development Authority in favour of Ramakrishna Math, Belur, District Howrah, West Bengal. These drafts have been prepared by Sri B.I.Kaul, advocate, who is a member of the Managing Committee of the Ramakrishna Mission and is also Legal Advison to the Lucknow Development Authority.

According to the lease Deed dated 24.4.1962 in favour of Ramakrishna Mission, possession of plots Nos.B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 aggregating to an area of 2,11,217 sq.ft., equal to 7 Bighas, 14 Biswas, 14 Biswansis and 10 Kachwansis, had been given by Nagar Mahapalika, Lucknow, to the Mission and since then the Mission is in actual possession thereof. These 4 plots with their measurements have been correctly shown on page 3 of the Lease Deed, again in the Schedule on page 7 of the Lease Deed as well as in the plan attached with the Lease Deed.

.....2

Unfortunately due to a clerical mistake on page 2 of the Lease Deed, after showing the correct area of all the four plots of land both in sq.ft., and Bighas etc.,-only 3 Nos. of plots have been shown, Viz., B/81, B/82/1 and B/82/2 while plot No.B/82 has been mentioned. Due to this Clerical error on page 2 of the Lease Deed, we also committed a mistake and requested the Lucknow Development Authority to transfer plots Nos.B/81, B/82/1 and B/82/2 to Ramakrishna Math,but clearly mentioned in that application dated March 2, 1979, that the leasehold rights sought to be transferred were given in the lease Deed, copy of which was enclosed with the application.

In our subsequent letter dated 5-10-79 addredded to your office, copy enclosed for ready reference, we have correctly mentioned all the four plots and had enclosed a photostat copy of Resolution No. 1(b) passed at a meeting of the Govering Body of the Ramakrishna Mission held at Belur Math premises on 20.9.79. This resolution also mentions all the four plots, copy enclosed for ready reference.

Hence it is cleat that the time we wanted to get the permission to transfer all the four plots mentioned ~~x~~ in the Lease Deed in favour of the Math. The two drafts of Surrender by the Mission ~~of~~ and the lease in favour of the Math therefore ~~show all the 4 plots~~, viz., Nos.B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 admeasuring 2,11,217 sft. with draft deed of surrender, plan has been attached, while plan for deed of lease will be submitted later.

It is therefore prayed that the matter may kindly be expedited.

Your ever
In the services of the Lord,

Enclos: 4

Sd/- Swami Sridharanda,

This Deed of Surrend r of lease made by (1) Ramakrishna Mission, Belur, District Howrah, West Bengal, of the first part hereinafter referred to as the First Party (which expression unless repugnant to the context shall be deemed to include its successors, representatives and assigns) acting through Swami-Sridharananda, Honorary Secretary, Ramakrishna Mission Sevashram, Lucknow, duly authorised in this behalf by the First Party and (2) the Lucknow Development Authority as the successor in interests of the Nagar Mahapalika, Lucknow, in its Vikas Vibhag of the Second part hereinafter to as the Second Party (which expression unless repugnant to the context shall be deemed to include its successors, representatives, and/Or assigns) acting through Sri

holding the post of

in the Lucknow Development Authority, Lucknow, SHOWETH THAT

Whereas under the rules relating to the disposal of building sites in the Chandganj Housing Accommidation Scheme Area, Nagar Mahapalika, Lucknow, the predecessor in interests of the Second Party had with the permission and approval of the State-Government, granted a lease of the scheme plots Nos.B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 aggregating to an eara of 2,11,217 sq.ft. equal to B 7-14-14 and 10 Kachwansis in the said Scheme area in Chandganj, Niralanagar, Lucknow, on a mominal rent of Rs.1/- per annum to the first Party, because of its religious and charitable acticities through a deed of lease dated 24.4.1962 registered at Lucknow on 30.5.1962 document no.1742 in Book No. I Volume No.1718 at pages 276 to 282.

AND WHEREAS the scheme aforesaid with all the rights in or liabilities of or the rights and liabilities pertaining to, the land comprised ~~x~~ in the Scheme which vested in the Nagar-Mahapalika, Lucknow, stand transferred by statute to the Second Party.

AND WHEREAS in its meeting dated 20.9.1979 the Governing Body of the First Party passed a Resolution No.1(b) that "Since the Ramakrishna Mission Sevashram, Lucknow, has no objection to the transfer by the Government of the leasehold plots of land bearing numbers B/81, B/82, B/82/1, B/82/2 in Chandganj Housing Accommodation to the Ramakrishna Math, Belur, a ~~x~~ sister organization of the Ramakrishna Mission for opening a Branch Centre of the Ramakrishna Math at Lucknow on those plots of land, if the plots of land are made available to Ramakrishna Math, Belur, Resolved that the leasehold rights of the Ramakrishna Mission in the land in plots Nos.B/81, B/82, B/82/1, B/82/2 in Chandganj Housing Accommodation be surrendered to the Government of Uttar-Pradesh to facilitate leasing out of the said plots by the Government of Uttar Pradesh to the Ramakrishna Math, Belur," on the basis of which correspondence was held between the parties concerned, including the O.M.No.2833(1)/37-2-1980, dated May 19, 1980 of U.P.Government Avas Anubhag-2 addressed to the Leassee and G.O.No.2833/37-2-10 /80,dated 19.5.1980 of U.P.Government Avas Anubhag-2 addredded to the ViceChairman of Lucknow Development Authority approving in principle the proposal of the surrender of the lease by the First Party so as to enable a fresh lease to be executed by the Second Party ~~x~~ in favour of the Ramakrishna Math, Belur, and the letter of Swami Sridharananda aforesaid dated 9-1-1980 to the Vice-Chairman of the Second Party explaining of final position.

AND WHEREAS THE request of the First Party and of the Ramakrishna Math, Belur, District Howrah, West Bengal, in their correspondences to accept the surrender of its said lease by the Second Party and the grant of a fresh lease to the Math aforesaid, ending with the said letter of Swami Sridharananda dated 9.7.1980 was accepted by the Lessor in its Resolution No. dated and in pursuance thereof it is necessary as a first step for the First Party to surrender its rights under the said lease dated 24.4.1962 to thesecond Party to enable it to execute a lease of the same land in favour of the Math aforesaid on the terms and conditions.

NOW THEREFORE the First Party hereby surrenders with possession to the Second Party all its rights whatsoever under the said Deed of lease in respect of the said plots Nos.B/81, B/82, B/82/1, and B/82/2 more fully described in the Schedule below and for clarity shown by red lines in the plan attached herewith, executed by the nagar Mahapalika, Lucknow, in its Vikas Vibhag in favour of the First Party by and under the Deed of Lease aforesaid dated 24-4-1962 registered at Lucknow on 30.5.1962 as document No.1742 Book No.1. Volume No.1718 at pages 276 to 282 so as to enable the Second Party to lease out the same (on the same terms and conditions) to the Ramakrishna Math, Belur, District Howrah, West Bengal.

In witness whereof the said authorised office-bearers of the Parties aforesaid to hereunder affix their respective

Signatures in the presence of witnesses on this the day of 1980.

Schedule herein above referred to

Plots of Nagar Mahapalika now of Lucknow Development Authority No.B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 admeasuring Bighas 7-14-14-10 situated in Chandganj Housing Accommodation Scheme and bounded as follows : North - Road, South - Road, East Road, West - Road situated in P.S.Hassan Ganj, Lucknow.

(For and on behalf of the
(first Party
(
(
(
((Swami) (Sridharananda)
(Honorary Secretary of
(Ramakrishna Mission on Seva-
(shram the local Branch Centre
(at Lucknow of the First Party
(authorised by Resolution
(No. dt.
(of the Governing body of the
(First Party to execute and
(present this deed for
(registration.

Witnesses :

1.

2.

(For and on behalf of the
(Second Party
(
(
((Sri)( )
(. . . . . of the Second
(Party.
(

Drafted by me.

Sd/- B.L.Kaul
Advocate.
9.7.80

This Deed of Lease made by (1) The lucknow Development Authority as the successors in interests of the Nagar Mahap Lika, Lucknow, in its Vikas Vibhag , of the first Part hereinafter referred to as the Lessor (which expression unless repugnant to the context shall be deemed to include its Administrators, successors, representatives and/or assigns) acting through Sri. . . . . holding the post of . . . . . in the Lucknow Development Authority, Lucknow and duly authorised in this behalf and (2) Ramakrishna Math, Belur, District Howrah, West Bengal, a Trust Registered with the Registrar of Assurances, Calcutta, of the Second Part hereinafter called the Lessee (which expression unless repugnant to the context shall be deemed to include its Administrators, successors and/Or representatives) acting through ~~Sw-ii~~ Swami Sridharananda duly authorised in this behalf SHOWETH THAT

WHEREAS under the rules relating to the disposal of building sites in the Chandganj Housing Accommodation Scheme Area, Nagar Mahapalika, Lucknow, the predecessor in interests of the Lessor had with the permission and approval of the State Government granted a lease of the Scheme plots nos B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 aggregating to an area of 2,11,217 Sq.Ft. equal to B-7-14-14 and 10 Kachwansis, in the said Scheme area, in Chandganj, now Niralanagar, Lucknow, on a nominal rent of Rs.1/- per annum to Ramakrishna Mission, Belur, District Howrah, West Bengal (hereinafter referred to as the Mission) because of its religious and charitable activities through a deed of lease

dated 24.4.1962 Registered at Lucknow on 30.5.1962 as document No.1742 in Book No.I Volume No.1718 at pages 276 to 282.

AND WHEREAS the Scheme aforesaid with all the rights in, and liabilities of or the rights and liabilities pertaining to, the land comprised in the Scheme which vested in the Nagar Mahapalika, Lucknow stand transferred by Statute to the Lessor,

AND WHEREAS in its meeting dated 20.9.79 the Governing Body of the Mission passed a Resolution No.1(b) that "Since the Ramakrishna Mission Sevashram, Lucknow, has no objection to the transfer by the Government of the leasehold plots of land bearing numbers B/81,B/82, B/82/1, B/82/2 in Chandganj Housing Accommodation to the Ramakrishna Math, Bolur, a sister organisation of the Ramakrishna Mission for opening a Branch Centre of the Ramakrishna Math at Lucknow on these plots of land, if the plots of land are made available to Ramakrishna Math, Belur, Resolved that the leasehold right of the Ramakrishna Mission in the land in plots No.B/81, B/82, B/82/1, B/82/2 in Chandganj Housing Accommodation be surrendered to the Government of Uttar Pradesh to facilitate leasing out of the said plots by the Government of Uttar Pradesh to the Ramakrishna Math, Belur." on the basis of which correspondence was held between the parties concerned including the O.M.No.2833(i)/37-2-1980 dated May, 19,1980 addressed to the Leasee and G.O.No.2833/37-2-101/80 dt. 19.5.80 of U.P.Govt.Avas Anubhag-2-addressed to the Vice Chairman of Lucknow Development Authority, approving in principle the proposal of surrender of the lease by the Mission so as to enable a fresh lease to be executed by the Leasor in favour of

the Lessee and the letter of Swami Sridharanand- aforesaid dated 9.7.1980 to the Vice Chairman of the lessor, explaining the final position.

AND WHEREAS the request of the Mission and of the lessee in their correspondence to accept the surrender of its said lease by the Mission and the grant of a fresh lease to the lessee ending with the said letter of Swami-Sridharanda~~x~~ dated 9.7.1980 was accepted by the lessor in its Resolution No.....dated ..... and in pursuance thereof the Mission surrendered all its rights under the said Lease dated 24.4.1962 by a deed of Surrender of th this date to enable this Deed of lease to be executed in favour of the Lessee and it is necessary now to execute the lease in favour of the lessee.

NOW THEREFORE in consideration of the rent hereinafter reserved and the covenants on the part of the Lessee hereincontained the lessor doth hereby demise unto the lessee, all those plots of land with all the advantage and disabilities hidden or obvious containing by admeasurement 2,11,217 Sq.ft. or 7 Bighas, 14 Biswas 14 Biswansis and 10 Kachwansis only situated in the Chandganj Housing Accommodation Scheme Area Lucknow now Niralanagar, lucknow, which said plots of land are more particularly described in the Schedule hereunder written with the boundaries thereof for greater clearance delineated on the plan annexed to these presents and thereon colured blue and green and numbered as B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 and the possession of which is this day and hereby delivered to the Lessee togather with all rights,

easements and appurtenances whatever to the said plots of land belonging or anywise appurtaining to hold the premises hereby demised unto the Lessee for thirty years from today with a right of renewal to two more periods of thirty years each, the rent being enhanceable upto 50% at the time of each renewal rendering therefor during the said terms the yearly rent of Rs.1/- by an intial payment of Rupee ..... for the period upto 31st March, 1981 and thereafter by yearly payment of Rs.1/- on the first day of April in each year at the Office of the Lessor or at such other place as the State Government shall from time to time appoint in this behalf, the second of such payment of the said yearly rent of Rs.1/- per annum to be made on the first day of April, 1982 and so on. each year and the Lessee doth herebycovenant with the Lessor THAT he will during the term hereby granted pay upto the Lessor the yearly rent hereby reserved on the days and in the manner hereinafter appointed and will from time to time and at all times during the said term pay and discharge all rates, taxes, charges and assessments of every description which are now or may at any time hereafter during the said term be assessed, charged or imposed upon the said premisses hereby demised ot the buildings erected or to be erected thereupon or upon the Landlord or tenant in respect thereof and also will in a good substantial and workmanlike manner and to the satisfaction of the lessor completely finish, fit for habitation and use on the said demised land as are marked out and coloured blue on the plan hereto annexed charitable dispensary, library, reading room or allied building on the plots Nos.B/81,B/82 and B/82/1 measuring 1,52, 898 Sq.ft. equal to B-5-11-17-13 (and make

and maintain a park on plot no.B/82/2 measuring 58319 Sq.ft. or B 2-2-16-17 and coloured green on the plan aforesaid attached to these present), according to a plan and elevation to be approved of by the lessor and as per their building rules for Chandganj Housing Accommodation Scheme and the Bye-laws in force and also will not without the previous consent in writing of the lessor erect or sudder to be erected on any part of the said demised premises any building other than and except the building hereby consented to be erected in the manner aforesaid, and will not without such consent as aforesaid make any alteration in the plan or elevation of the said buildings and any part thereof, And the lessee hereby further covenants that the built-up ~~area~~ area on the said demised premises its elevation as also the front back and side spaces left open, shall conform with such directions as may be given by the lessor (provided always that any dispute on the question whether the ~~bil~~ built-uparea or the demised premises, its elevation as also the front, back and side spaces left open, conform with such directions as may be given by the lessor and the buildings covnanted to be erected or hereafter erected conform with the Bye-laws in force on the subject shall be referred to the Officer appointed by the lessor in this behalf for arbitration whose decision on the matter shall be final and building and the lessee shall not be entitled to make any sub-division of the said demised premises to transfer or assign or sub-let it in parts of the whole

.....

and also that the Lessee will from time to time and at all times during the said term repair and keep the buildings standing ot so to be erected as aforesaid in good and substantial Repair and condition both externally and internally AND ALSO THAT THE LESSEE will not at any time carry on or permit to be carried on or upon the said premises any trade or business whatever ot use the same or permit the same to be used for any purpose other than the purposes of charitable hospital, dispensary, linrary, reading room and allied buildings and the Park and will not do or suddar to be done on the demised premises or any part thereof, any act or thing which may be or grow to be a nuisance, damage, annoyance or any inconvenience to the Lessor ot the owners, or occupiers of other premises in the neighbourhood and Provided further that the lessee will peacefully surrender and yield up the said demised premises with the said buildings in such good and substantial repair on the expiration or sooner determination of the said term upto the lessor, who may on expiry of the term either take the building upon a valuation or the Lessee will have the right to remove the same Provided that the plots of land hereby demised shall revert to the lessor when they are no longer used for the purposes for which they are being leased. AND ALSO that it shall be lawful for the agents of the Lessor during th said term at all reasonable times of the day to enter into enter into and upon the said demised premises and the buildings erected or to be erected thereon as aforesaid and to inspect and view the condition thereof and if any

defect or want of repair shall, on any such inspection, be descovered, to give the Lessee or leave upon the said premises notice in writing to make good and restore the same and that the Lessee, within three calender months x- after such notice, will sufficiently make good and restore the same accordingly, Provided Always and it is hereby declared that if the said yearly rent hereby reserved or any part thereof shall at any time be in arrears and ~~up~~ unpaid for the space of one calender month next after any of the said days whereon the same shall have become due whether the same shall have been lawfully demanded or not or if there shall be any breach or non-observance by the Lessee of any of the covnants hereinbefore contained on its part to be observed and performed then and in any such case it shall be lwful for the Lessor notwithstanding the waiver of any previous caus or right of reentry to enter into and upon the said demised previous and the buildings erected or so to be erected as aforesaid or any part therefore in the name of the whole and thereupon the same shall remain to the use of and be vested in the Lessor, AND it is hereby covenanted that only one dwelling house alongwith its out buildings shall be buily upon the said plots of land AND it is hereby agreed between the Parties hereto that all costs and expenses incidental to the execution and registration of this DEED aforesaid shall be payable by the Lessee.

In witness whereof the said authorised office bearers of the parties aforesaid do hereunder affix their repective signatures in the presence of witnesses on this the day of 1980.

SCHEDULE ABOVE REFERRED to

Plots of Nagar Mahapalika now of lucknow Development Authority nos B/81, B/82, B/82/1 and B/82/2 admeasuring Bighas 7-14-14-10 situated in Chandganj Housing Accommodation Scheme and bounded as follows : North - Road, South - Road, East - Road, West - Road Situated P.S.Hasan Ganj, Lucknow,

Witnesses

1. Lessor (For and on behalf of the
(lessor
(
(
((Sri) ( )
(. . . . . of the Lessor
(duly authorised by delegation
(of powers in this behalf)
(
(

2. Lessee (For and on behalf of the
(lessee
(
(
(
(Swami Sridharanande
(Monk-in-charge of the
(lessee at lucknow, duly
(authorised by Resolution
(No. . . . . dated. . . . .
(. . . . . of the (Trustees
(of the) Lessee

विषय संख्या: 23 पृष्ठ सं0: 82

विषय: श्री सी0एम0अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या-सी-49, स्थित सेक्टर "जे" में बदलने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=

श्री सी0एम0अग्रवाल को भूखण्ड संख्या- सी-49, सेक्टर "जे" में आवन्टित हुआ था । उन्होने अपने प्रार्थना-पत्र, दिनांक 13-6-80 द्वारा अनुरोध किया है कि उनका यह भूखण्ड बदल कर सेक्टर "सी" में स्थित खाली भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवन्टित कर दिया जाये । इसका कारण उन्होने यह लिखा है कि उनके कुछ निकट सम्बन्धी सेक्टर "बी" में भूखण्ड पा चुके हैं । अत: यदि उनको सेक्टर "सी" में भूखण्ड दे दिया जाता है तो वे उनके निकट हो जायेगें ।

श्री सी0 एम0 अग्रवाल का प्रार्थना- पत्र विकास-प्राधिकरण के विचारार्थ, साथ में संलग्न किया जा रहा है।

कृपया उक्त विषय पर निर्णय लेने का कष्ट किया जाये ।

=====::::;0000::::::======

एम/आर xxx

श्री सी0एम0अग्रवाल के प्रार्थनापत्र की
प्रतिलिपि

सेवा मे,

अध्यक्ष महोदय,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आदरणीय महोदय,

विकास प्राधिकरण के पत्र संख्यासी-705/2690 आवास दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 व्दारा मुझे भूखण्ड संख्या सी-49 सेक्टर जे में आवन्टित किया गया था और उसके अनुपालन में मैने सभी देय किश्तें भी अदा कर दी हैं परन्तु भूखण्ड का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि सेक्टर सी में मौके पर ~~xxxxx~~ पैमाइश के समय तीन भूखण्ड क्रम संख्या सी-24 बी, सी-24 सी एवं सी-24 डी और उपलब्ध हो गये हैं जो किसी को अभी आवन्टित भी नहीं हुए हैं और न आपकी आवन्टन सूची में ही यह भूखण्ड थे । ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त तीनों भूखण्डों में से एक भूखण्ड मुझे पूर्व में आवन्टित भूखण्ड संख्या सी-49 सेक्टर जे के स्थान पर दे दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मेरे कुछ निकट सम्बन्धी इसी सेक्टर बी में भूखण्ड ले चुके हैं अतएव मै उनके निकट भी हो जाऊँगा और मुझे उक्त लोगों के समय समय पर सहायता भी मिलती रहेगी । इसलिये इस परिवर्तन की प्रार्थना की है ।

इस प्रकार के परिवर्तन विकास प्राधिकरण ने पहले भी किये हैं जैसे कि श्री प्रकाश चन्द्र मित्तल रजिस्ट्रार लखनऊ विश्व-विद्यालय को निराला नगर में पहले एक भूखण्ड आवन्टित हुआ था और जिसका उन्होने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था परन्तु फिर बाद में उनके अनुरोध पर विकास प्राधिकरण ने उन्हे एक दूसरा भूखण्ड पहले के स्थान पर बदलकर आवन्टित कर दिया था ।

अत: मुझे विश्वास है कि विकास प्राधिकरण की बैठक में मेरे प्रार्थनापत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इस परिवर्तन के आदेश देने की कृपा करेगें ।

भवदीय,

ह0 सी0एम0अग्रवाल
(सी0एम0अग्रवाल)
निजी सचिव,
मुख्य मन्त्री,
उ0प्र0

दिनांक:23 जून, 1980

सचिव, ल0वि0प्रा0

इसे एल0डी0ए0 की आगामी बैठक में रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करें । ह0 गंगा राम
अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0

एम/आर xxx

विषय संख्याः 24 पृष्ठ संख्याः –

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए उद्यान अधीक्षक के पद का वेतनमान रुपया 550–1200 में सृजन एंव श्री जे0पी0 गुप्ता उद्यान अधीक्षक की नियुक्ति।

श्री जे0पी0 गुप्ता, उद्यान अधीक्षक, महापालिका, लखनऊ अपने कार्य के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी कार्य देख रहे हैं। कुछ समय पूर्व उद्यान अधीक्षक व उनके स्टाफ के लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्बन्धी कार्य–कलाप की देख रेख लखनऊ विकास प्राधिकरण से हटाकर उप नगर अधिकारी, नगर महापालिका के सुपुर्द कर दी गयी थी। यही व्यवस्था आज भी चल रही हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, नजूल तथा अन्य प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत बने हुए लगभग 125 पार्कों को बनाने व उनके रख–रखाव व उनमें कार्यरत स्टाफ का सारा व्यय वहन कर रहा है परन्तु उसकी देख रेख लखनऊ विकास प्राधिकरण की न होकर महालिका से हो रही है। यह स्थिति कदाचित आपत्तिजनक है।

काफी समय पूर्व से ही लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसी विचारधारा चल रही है कि दिन्य प्रति बढ़ती हुई पार्कों की संख्या व योजनाओं की सड़कों पर लगाये गये वृक्षों की संख्या में वृद्धि व उनके समुचित रख–रखाव करने तथा सभी ऐसे कार्यों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण का अपना उद्यान अधीक्षक नियुक्त होना परम् आवश्यक है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सब–कमेटी को स्टाफ पैटर्न प्रस्तावित करने का कार्य सुपुर्द हुआ। सब–कमेटी ने अपनी संस्तुति में प्रस्ताव दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित उद्यान अधीक्षक के वेतनमान रु0 550–1200 में एक उद्यान अधीक्षक की नियुक्ति की जाए, जो केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण व नजूल के पार्कों व लगाये गये वृक्षों इत्यादि की देख रेख करें तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्ण–रुपेण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि पद विधिवत् सृजित कर दिया जाए तथा नियुक्ति की जाए।

श्री जे0पी0 गुप्ता, उद्यान अधीक्षक जो वर्तमान समय में महापालिका व लखनऊ विकास प्राधिकरण का कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र अत्यधिक होने पर भी वे लगन, निष्ठा व परिश्रम से कार्य सम्पादित कर रहे हैं। यदि केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्कों की देख रेख एक व्यक्ति के पास रहें तो कार्य और भी अच्छा सम्पन्न होगा। श्री गुप्त अपने कैडर के काफी वरिष्ठ एंव अनुभवी उद्यान अधीक्षक है। विगत दो वर्षों में इन्होंने काफी परिश्रम करके सराहनीय कार्य किया है तथा पार्कों के विकास एंव सौन्दर्यीकरण में योगदान दिया है। अभी

हाल ही में बने हाथी पार्क व गौतम बुद्ध पार्क में इन्होंने सराहनीय कार्य किया हैं।

अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के हित में होगा कि श्री जे०पी० गुप्त, उद्यान अधीक्षक की नियुक्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण में उद्यान अधीक्षक के पद सृजित करके कर ली जाए।

==== : : : : = ====

नरेन्द्र/
===

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22जुलाई, 1980
में विचारणीय विषयों की अनुपूरक सूची

विषय सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
25–	अलीगंज आवास योजना में विकास प्राधिकरण / नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा लेने के विषय में,	86
26–	सिविल अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि ट्रांस गोमती क्षेत्र में तथा 5 एकड़ कानपुर रोड, आलमबाग क्षेत्र में निःशुल्क देने के विषय में।	90
27–	लखनऊ विकास प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।	92
28–	अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	97
29–	श्री भार्गव द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट का आवेदन।	100
30–	अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्डों के प्रीमियम की दरों एंव उसकें भुगतान के सम्बन्ध में।	101
31–	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।	

== : : : : 0 : : : : ==

बेरद्य/
===

विषय सं० 25 पृष्ठ सं० 86.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के लिये विचारार्थ आख्या :

विषय: अलीगंज आवास योजना में विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका का कर्मचारियो द्वारा अनाधिकृत कब्जा लेने के विषय में ।

आख्या:

1. अनुलग्नक 'क' में दर्शित विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका के कर्मचारियो ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भवनो में अनाधिकृत कब्जा कर लिया था ।

2. आवासीय भवनो एवं भूखण्डो के आवंटन सम्बन्धी नियम की क्रम सं०8.7 में यह प्राविधान है कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारियो/अधिकारियो के लिये कुल भूखण्डो/भवनो की संख्या का 10% के बराबर आरक्षण होगा ।

अतः कृपया विकास प्राधिकरण निम्न बिन्दुओ पर निर्णय लेने का कष्ट करें :

I) क्या अनुलग्नक 'क' में दर्शित व्यक्तियो को उनके नाम के सम्मुख अंकित भवन आवंटित कर दिये जायँ तथा उनका समायोजन उपरोक्त आरक्षण के विरुद्ध कर लिया जाय?

II) क्या भवन को मूल्य जो उनके द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने की तिथि पर था, वह ही लिया जायँ तथा सी के अनुसार किश्तें निर्धारित की जायँ ?

III) क्या यह भवन उन्हीं व्यक्तियो को दिये जायँ जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय की निर्धारित आय सीमा से आते हैं, यदि हाँ तो जिन व्यक्तियो की आय सीमा अधिक है उनके विषय में क्या किया जाय ?

IV) यदि अनुलग्नक 'क' में दर्शित समस्त अथवा आंशिक व्यक्तियो से उक्त भवन खाली कराने हो तो क्या उनको नोटिस दे कर खाली करा लिया जायँ और उनसे जितनी अवधि में रहे हैं, किराया ले लिया जायँ ?

VI) भवन सं०ई.2 153 श्री श्रीराम को पंजीकृत अभ्यर्थियो के साथ साथ आवंटित किया गया था उसके बाद ई-1 कालोनी में अनाधिकृत रूप से रहने वालो को उपाध्यक्ष महोदय के आदेश द्वारा खाली करवा के ई-2 कालोनी में अस्थाई रूप से स्थानान्तरित कर दिया गया, उन्हीं लोगो के साथ साथ श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव भी भवन सं०ई-2/153 में स्थानान्तरित हो गये । भवन सं०ई-2/16 खाली है जिससे पूर्व में श्री आगा जानी ड्राईवर रह रहे थे और उनकी मृत्यू हो गई । अतः श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव को भवन सं०ई-2/16. में स्थानान्तरित कर दिया जायँ ।

ह०/- प्रभारी अधिकारी (संपत्ति)
8-7-80

अलीगंज योजना में एक कमरे वाले ई० डब्लू० एस० में अनधिकृत रूप से रहने वाले कर्मचारियों की सूची:

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पद का नाम	विभाग का नाम	दैनिक वेतन भोगी	भवन सं० जिसमें रह रहे हैं
1)	श्री राम औतार	–	तजवज विकासप्रधिकरण	दै० वे० भो०	ई-11/1
2)	श्री डी० के० मार्य	अवर अभियन्ता	"	रेगुलर	ई-11/2 तथा ई-11/3
3)	श्री अली अहमद	ड्राईवर	"	"	ई-11/4
4)	श्री पुद्दैन	चपरासी	"	"	ई-11/5
5)	श्री सदा शिव	चौकीदार	"	दै०वे०भो०	ई०-11/6
6)	श्री गणेश प्रसाद	ड्राईवर	"	रेगुलर	ई-7
7)	श्री आर० के० यादव	अवर अभियन्ता	"	"	ई-11/8तथा ई-11/9
8)	श्री कन्हैया लाल	सुपरवाईजर	"	दै०वे०भो०	ई-11/10
9)	श्री जय राम	चपरासी	"	रेगुलर	ई-11/11
10)	श्रीरामेश्वर प्रसाद राय		नगर महा०पा०		ई-11/12
11)	श्री मो० अयाज	चपरासी	ल० वि० प्रा०	रेगुलर	ई-11/13
12)	श्री विश्वनाथन	"	"	"	ई-11/14
13)	श्री श्याम दाय गुप्ता	लिपिक	"	दै०वे०भो०	ई-11/15
14)	श्री आगा जानी (मृत्यु हो गई)	ड्राईवर	"	"	ई-11/16
15)	श्री उमा कान्त तिपाठी	चपरासी	"	"	ई-11/17
16)	श्री एस० के० वर्मा	अवर अभियन्ता	"	रेगुलर	ई-11/18तथा ई-19
17)	श्री बी० एल० वर्मा	अवर अभियन्ता	"	"	ई-11/20 तथा11/21
18)	श्री जे० पी० गुप्ता	"	"	"	ई-11/22तथा ई-12

19)	श्री डी० पी० गोयल	अवर अभियन्ता	ल० वि० प्रा०	रेगुलर	ई-II/24-ई-II/25
20)	श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय	"	"	"	ई-II/26-ई-II/27
21)	श्री रंजीत सिंह	"	"	"	ई-II/28-ई-II/29
22)	श्री उमाकान्त द्विवेदी	"	"	"	ई-II/30-ई-II/31
23)	श्री राम भजन	चपरासी	"	"	ई-II/32
24)	श्री जे० पी० गुप्ता	वरिष्ठ अधीक्षक	ल० महा० पा०	"	ई-II/33
25)	श्री हरि प्रसाद गुप्ता	अमीन	ल० वि० प्रा०	"	ई-II/34
26)	श्री मो० उमर	चपरासी	"	"	ई-II/35
27)	श्री एस०सी०निगम	अवर अभियन्ता	"	"	ई-II/36-ई-II/37
28)	श्री ए०ए०सिद्दीकी	"	"	"	ई-II/38, ई-II/39
29)	श्री अकील अहमद	"	"	"	ई-II/40, ई-II/41
30)	श्री एस० एस० शुक्ला	"	"	"	ई-II/42, ई-II/43
31)	श्री एस० एस० वर्मा	"	"	"	ई-II/44, ई-II/45
32)	श्री अरुण पाण्डेय	"	"	"	ई-II/46, ई-II/47
33)	श्री बी० पी० तिवारी	मेट	"	दै०वे०मो०	ई-II/48
34)	श्री शिव प्रसाद यादव	चपरासी	ल०महा०पा०	रेगुलर	ई-II/193
35)	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	लिपिक	ल० लं०वि०प्रा०	"	ई-II/82
36)	श्री शेष मणि मिश्रा	लिपिक	"	दै०वे०मो०	ई-II/176
37)	श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव	"	"	"	ई-II/153

39)	श्री एस० पी० शुक्ला	लिपिक	ल० वि० प्रा०	दै०वे०भो०	ई-11/109
40)	श्री प्रकाश वर्मा	"	"	"	ई-11/149
41)	श्री हसमत उल्ला	"	–	–	ई-11/133
42)	श्री श्रीमती शशिबाला	–	–	–	ई-11/120
43)	श्री जयदेव प्रसाद	लिपिक	न०म०प्रा०	रेगुलर	ई-11/209
44)	श्री पाँचू राम	"	"	"	ई-11/226
45)	श्री माता प्रसाद	इन्सपेक्टर	"	"	ई-11/224
46)	श्री शिव राम शरण श्री०		"		ई-11/61
47)	श्री जगदेव प्रसाद	"	न०म०हा०प्रा०	"	ई-11/80
48)	श्री घनश्याम दास		"	दै०वे०भो०	ई-11/50
49)	श्री राजेश्वर प्रसाद	–	"	"	ई-11/49
50)	श्री बीरबल	–	"	रेगुलर	ई-11/96
51)	श्री नरेन्द्र बख्श सिंह	–	"	"	ई-11168
52)	श्री बलभद्र सिंह	–	"	"	ई-11/233
53)	श्री गोवर्धन मिश्र	–	"	"	ई-11/169

ह०/- प्रभारी अधिकारी (संपत्ति)।

विषय सं० 26 विकास प्राधिकरण में रखने हेतु आख्या पृष्ठ सं० 90

विषय:- सिविल अस्पताल के लिये 5 एकड़ क्षेत्र में ट्रांस गोमती क्षेत्र में तथा 5 एकड़ कानपुर रोड पर आलमबाग की ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निशुल्क भूमि प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

सचिवालय कंट्रोल रुम में हुई एक बैठक में लखनऊ सिविल अस्पताल हेतु निशुल्क भूमि देने हेतु लिया गया निर्णय की प्रतिलिपि प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:

सिविल अस्पताल लखनऊ के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में दिनांक, 5.6.80 को कंन्ट्रोल रुम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवृत्त:

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री आर० बी० सक्सेना, मुख्य सचिव, अध्यक्ष ।
2- श्री शशि भूषण शरण, चिकित्सा सचिव,
3- श्री एन०एम० मजूमदार, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4- श्री बी० जे० खोदायजी, आवास सचिव,
5- श्री गंगाराम, आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ ।
6- श्री सरन प्रसाद, सचिव, बन विभाग ।
7- श्री आर०के० गुप्ता, प्रशासक, लखनऊ ।
8- श्री बी०बी० थिडियाल, संयुक्त सचिव, वन ।
9- श्री बी०एस० शुक्ला, उप सचिव, आवास।
10- श्री बी०बी०सिंह, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ।
11- श्री आर०के० कुर्वर, ए०डी०एम० (ई) लखनऊ ।
12- श्री आर०के० माथुर, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।
13- श्री डा०पी०के०टंडन, वरिष्ठ अधीक्षक, सिविल अस्पताल, लखनऊ ।
14- श्री डी०एस०वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15- श्री एन०पी० भटनागर, अतिरिक्त सचिव,/ नजूल आफीसर।
16- श्री अशोक कुमार, उप सचिव (चिकित्सा) ।
17- श्री एन०दत्ता अधिशासी अभियन्ता, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।

चिकित्सा विभाग ने सिविल अस्पताल, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये:-

1- प्राणी उद्यान की ढाई एकड़ भूमि चिकित्सा विभाग को स्थानान्तरित कर दी जाय या
2- कहीं अन्यत्र भूमि की तलाश की जाय। या
3- सूचना निदेशालय का सम्पूर्ण भवन लगी हुई जमीन सहित को ले लिया जाय और सूचना विभाग के निदेशालय को सिविल अस्पताल की कैपिटल सिनेमा के पास स्थित भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बतलाया कि चिड़िया घर शहर के बीच स्थित होने के कारण बहुत लोकप्रिय है और लगभग 8 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष इसको देखने आते हैं। जिससे कि गेरुमनी प्राप्त होती है। कानपुर में नया चिड़ियाघर जो बनाया गया है वह शहर से दूर होने के कारण इतना लोकप्रिय नहीं है। प्राणी उद्यान में इतनी भूमि नहीं है जो चिकित्सा विभागों को दी जा सके। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा वर्णित परिस्थिति में यह तय पाया गया कि प्राणी उद्यान की लोकप्रियता तथा आवश्यकताओं को देखते हुये उसमें से कोई भूमि सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु देना सम्भव न होगा।

.....2..क्रमश ..

पृष्ठ सं० 91

2– इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि सूचना विभाग बनारसी बाग स्थित अपना पूरा भवन जिसके आधे हिस्से में इस समय सिविल अस्पताल स्थित है और उससे लगी भूमि सब की सब चिकित्सा विभाग को सिविल अस्पताल हेतु दे दें । तथा सूचना विभाग स्वयं अवर . जिमखाना के पास स्थित खाली भूखंड को लेकर उस पर अपना भवन बनवा लें या सचिवालय का नया भवन बन जाने पर जब विकास भवन स्थित सचिवालय के विभाग उसमें शिफ्ट हो जायेंगे तो वह विकास भवन को ही किराये पर ले सकते हैं । एक और भी प्रस्ताव था कि जवाहर भवन में सूचना विभाग को समायोजित कर दिया जाये। यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा सचिव, सूचना सचिव एवं सूचना निदेशक से इस संबध में विचार विमर्श कर लें और तत्पश्चात मुख्य सचिव महोदय से बात करें।

3– बैठक के दौरान इस पर भी विचार किया गया कि ट्रान्स गोमती क्षेत्र में और आलमबाग की तरफ कानपुर रोड पर कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है और आबादी उस ओर बढ़ती ही जा रही है। अतः यह तय पाया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण 5-5 एकड़ भूमि इन दोनों तरफ निःशुल्क चिकित्सा विभाग को अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करावे। इस संबध में आवास सचिव कृपया विचार कर अग्रेतर कार्यवाही करें।

ह0/–
(अशोक कुमार)
उप सचिव,

प्राधिकरण ने आज तक कोई भी भूमि निशुल्क किसी भी संस्था को उपलब्ध नहीं की/ उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस विषय पर प्राधिकरण का निर्णय अभीष्ठ है।

=00=00=00=00=

विषय संख्या 27 पृष्ठ संख्या: 92

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 4507पी॥1॥111-न0प0-4-50क/77 दिनांक 6-7-78 ॥ प्रतिलिपि संलग्न ॥ द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि दैनिक वेतन पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष से ऊपर अपनी सेवायें पूर्ण करली हैं एंव प्रति वर्ष 240 दिन उन्होंने कार्य किया हो उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त किया जाये।

इस समय प्राधिकरण में विभिन्न विभागों में कुछ ऐसे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनको दैनिक वेज ॥ डेली वेजेज़ ॥ के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। संलग्न रूपपत्र में इस का विस्तृत विवरण दिया गया है। शासनादेश में उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रेगुलर करने के आदेश दिए गये हैं जिन्होंने तीन साल तक लगातार कार्य किया है तथा प्रत्येक वर्ष जिन्होंने कम से कम 240 दिन कार्य किया है। इस शासनादेश में " कर्मचारी शब्द " का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की परिभाषा में वर्कचार्ज पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का भी समावेश होता है अथवा नही । यह शासनादेश से स्पष्ट नही है।

अस्तु प्रस्तावित है कि संलग्न विवरण पत्र के कालम सं0- 5 में दर्शाये गये 38 पदों के सृजन करने का कष्ट करें तथा वर्कचार्ज व्यक्तियों के सम्बन्ध में उचित होगा कि उक्त शासनादेश के क्रम में शासन से आदेश प्राप्त कर लिये जायें तदुपरान्त इनके मामले में शासनादेशके अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

रिज़वी/80

क्र0सं0	पद नाम	विभाग का नाम	कार्यरत नियमित संख्या	तीन वर्ष से ऊपर से दैनिक वेतन भो0 कार्यरत	वर्कचार्ज	योग	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	गैंग मैन 19	भवन	10	3	2	15	165-215
		अण्ड-7	-	-	4	4	165-215
2-	चौकीदार 4	अण्ड-2	-	-	1	1	165-215
		अण्ड-7	1	-	2	3	165-215
3-	मिस्त्री 7	अण्ड-4	-	-	3	3	172-226
		अण्ड-7 (प्रथम गोमती)	1	-	1	1	172-226
		" (दूसरा गोमती)	-	-	2	2	172-226
4-	पेंट 8	अण्ड-3	1	1	-	2	168-218
		अण्ड-1	-	-	6	6	168-218
5-	हेल्पर 14	अण्ड-7 (प्रथम गोमती एवं दूसरा गोमती)	2	-	12	14	165-215
6-	इलैक्ट्रीशियन- 3	अण्ड-7 (" ")	1	-	2	3	172-226
	उद्यान विभाग						
7-	इलेक्ट्रीशियन- 1	फव्वारा पार्क	-	1	-	1	172-226
8-	पम्प आप्रेटर 2	शहीद पार्क	-	1	-	1	168-218
		फव्वारा पार्क	-	1	-	1	168-218

क्रमशः 2

पृष्ठ सं० 94

1	2	3	4	5	6	7	8
9-	माली	42	शाही स्मारक	-	10	-	10	165-215
			बेगम हजरत महल	-	5	-	5	165-215
			लिम्ब सेन्टर के सामने	-	6	-	6	165-215
			अलीगंज	-	10	-	10	165-215
			ब्लाक-3 (विकास विभाग)	9	-	2	11	165-215

रिज़र्वो/30

पृष्ठ सं० 95

प्रतिलिपि पत्र सं0 4507ए(1) III-न0प0-450 क 177, दिनांक जुलाई 6, 1978 प्रेषक -विनय कृष्ण , अनुसचिव, नगर पालिका अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।

सेवा में- निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 आर-7 ,बटलर रोड, डालीबाग लखनऊ।

विषय:- तीन वर्षों से लगातार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर वेतनमान में किया जाना।

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, स्वायत्त शासन (श्री राधेश्याम रस्तोगी) को सम्बोधित व निदेशक (श्री रूद्र शेखर मिश्र) के अर्धशासकीय पत्र सं0 11977 श0/एव-1561 सा0/78, दिनांक 20 जून, 1978 की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 19 मई , 1978 को पंच महापालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री जी के साथ हुई वार्ता के दौरान दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो "दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तीन साल तक लगातार कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने साल में 240 दिन कार्य कर लिया है उनको रैगुलर कर दिया जाये । अत: आपसे अनुरोध है कि इस निर्णय के कार्यन्वयन हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये तथा कृत का प्र[illegible] कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

आपसे यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय के कार्यन्वयन हेतु जिन -जिन अतिरिक्त नियमित पदों के सृजन की आवश्यकता हो, उनके सम्बन्ध में शासनादेश सं0 374-ए111-न0प04-2क(79) 177, दि024फरवरी 1978 पैरा त्रिनिर्दिष्ट प्रारूप एंव तिथि अनुसार नगर महापालिकाओं से सूचना प्राप्त कर के अपना प्रस्ताव कृपया शासन को पन्द्रह दिन के अन्दर भेजने की कृपा करें।

(विनय कृष्ण)
अनुसचिव

सं0 4507ए(1) III-न0प0-4-5 क 177

प्रतिलिपि प्रशासक,नगर महापालिका,आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ/वाराणसी को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया अपनी महापालिकाओं मेंकार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये गये उपरोक्त निणायानुसार कार्यवाही अवलम्ब सुनिश्चित करें तथा स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजते हुए शासन को भी सूचित करने का कष्ट करें। ऐसे कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु आवश्यक पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रशासक नगर महापालिका ,कानपुर को सम्बोधित तथा अन्य सभी प्रशासकों को भी पृष्ठांकित शासनादेश संख्या-374ए/11-न0प0-4-2क(79)/77,दिनांक 24 फरवरी ,1978 द्वारा निर्दिष्ट तिथि अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय के माध्यम से शासन को शीर्घ उपलब्ध कराये। इन कर्मचारियों को निमित किये जाने हेतु अतिरिक्त पदों का -

क्रमश: 2

पृष्ठ सं० 96

का सृजन भी करना होगा और अतिरिक्त व्यभार वहन करने की सक्षमता पर भी विचार किया जाना होगा जिसमें शासन का अंशदान भी निहित है। अतएव तदनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव भी निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण सूचना सहित निदेशक स्थानीय निकाय का तुरन्त उपब्ध कराये और उनकी प्रतिलिपि शासन को भी भेजी जाय।

आज्ञा से,

ह0- - -- -
(विनय कृष्ण)
अनु सचिव ।

संख्या: 4507(2)(ए)/11 -न0प0-4-50/77

प्रतिलिपि स्वायत्त शासन अनुभाग-1 को उनके पत्र सं0 5127टी(1)(9-1-78 दिनाक 29 जून ,1978 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(विनय कृष्ण)
अनु सचिव।

पीसन्दर/80

विषय संख्या:- 28

विषय:- अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत विद्यालयो को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत विद्यालयो हेतु कुछ भूखन्ड आरक्षित है । इनके आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण व्दारा प्रार्थना आमंत्रित किये गये थे तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रो की स्क्रूटनी प्राधिकरण व्दारा गठित उप समिति व बैठक दिनांक 17.11.79 में की गई थी तथा जिन विद्यालयो को भूमि आवंटित की जानी थी उनके नाम की अनुसंशा प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु बैठक दिनांक22.12.79 में प्रस्तुत किया गया था जिसें इसे निधारिर्त करने हेतु एक उप समिति का गठन पुन: किया था । उक्त उप समिति की अनुसंशा प्राप्त हो गई है तथा उप समिति की बैठक दिनांक 17.11.79 तथा 19.7.80 व्दारा की गई अनुसंशा प्राधिकरण के निणार्य हेतु प्रस्तुत है ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28•9•79 के प्रस्ताव सं0 16 द्वारा गठित उप समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17•11•79 की कार्यवाही ।

उक्त बैठक में श्री बी0के0 चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री योगेन्द्र नारायण जिलाधिकारी, लखनऊ व श्रीएम0एल0 लारी सदस्य लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भाग लिया । बैठक में उन सभी प्रार्थना -पत्रो पर विचार विमर्श किया गया जो अलीगंज योजना के सेक्टर ए-बी-सी-डी एंव के में स्कूल बनाने हेतु दिये गये है । कुल प्राप्त प्रार्थना-पत्रो 24 है । इन 24 प्राधियो में से 15 प्रार्थी उप समिति के समक्ष उपस्थित हुये । इन प्राधियो मे से प्रत्येक को अलग - अलग बुला कर समिति के स्कूल चलाने का अनुभव, गत तीन वर्षो के वार्षिक परीक्षा फल, वित्तीय व्यवस्था, भविष्य की योजनाये, भूमि उपलब्ध होने के कितने समय बाद स्कूल प्रारम्भ कर दिया जायेगा, तथा अन्य शैक्षिक उपलब्धियाँ एंव आवश्यक रिकार्ड देखें गये ।

विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गये ।

1- श्रीमती राजेन्द्र कौर, प्रधानाध्यापिका, गुरु नानक गर्ल्स, इन्टरमीडियेट कालेज को सेक्टर "के" में स्कूल प्लाट आवंटित किया जाये ।

2- श्रीदाऊ जी गुप्ता, अध्यक्ष वैदिक कन्या पाठशाला, इन्टर कालेज, गनेशगंज, लखनऊ को सेक्टर"बी" में स्कूल प्लाट दिया जाये।

3- श्रीमतीस्व0 कमल, निदेशिका, चेतना सोसाईटी, निराला नगर लखनऊ को सेक्टर"सी" में प्लाट दिया जाये ।

4- श्री पूरन सिंह, प्रबन्धक पायनियर मांटेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर, लखनऊ को सेक्टर "डी" मे स्कूल प्लाट दिया जाये ।

5- श्रीमती कौशिल्या पोपली, प्रचार्या मुनीस्पल नसरी स्कूल महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को सेक्टर"ए" में प्लाट दे दिया जाये ।

उपरोक्त के अतिरिक्त तीन अन्य आवेदकों को अधोलिखित वरीयता क्रम में वेटिंग लिस्ट में रखा गया ।

1- प्रबन्धक स्प्रिंग डेल्स स्कूल, सेक्टर"बी"महानगर लखनऊ ।
2- कु0 मुस्तरी जमाल, भाता रमजान खाँ, हुसैनगंज, लखनऊ ।
3- श्रीमती मुन्नू गुप्ता, प्रबन्धक लखनऊ पब्लिक कालेज लाटूश रोड लखनऊ ।

यह भी निर्णय लिया गया कि इन भू खन्डों की भूमि की प्रीमियम की दर रु0 3/- प्रतिवर्ग फुट रखी जाये । आवंटन के पूर्व प्रीमियम की धनराशि का 50% जमा करा लिया जाये तथा शेष 50% धनराशि दो वर्षो में दो बराबर किस्तों में जमा कराई जाये । अन्य शर्ते स्कूल बनाने की हाऊसिंग बोर्ड के विषय रखी जावेंगी ।

(एम0एल0लारी)
सदस्य,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

(योगेन्द्र नारायण)
जिलाधिकारी, लखनऊ

(बी0के0 चतुर्वेदी)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 को प्रस्ताव संख्या-5 व्दारा विद्यालयों को भूमि आवंटन हेतु गठित उप समिति की बैठक जो सचिव, आवास पुर्नवास उ0प्र0लखानऊ के कार्यालय में दिनांक 19-7-80 के अपरान्ह 5 बजे हुई का कार्य वृत ।

-: 0 :-

आज दिनांक 19-7-80 को अपरान्ह 5 बजे प्राधिकरण व्दारा अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत विद्यालयो को भूखान्ड देने के लिये गठित उप समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियो ने भाग लिया :-

1- श्री [illegible] बी0जे0खोदायजी	आयुक्त एंव सचिव, आवास एंव पुर्नवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।
2- श्री राधे कृष्ण गुप्त	प्रशासक, नगर महापालिका एंव उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
3- श्री जंयन्ती प्रसाद दूबे	मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उ0प्र0लखानऊ ।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कौन कौन से विद्यालयो को भूखान्ड दिया जान है इसका निर्णय विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव सं0 16 व्दारा गठित उप समिति की व्दितीय बैठक दिनांक 17-11-79 में निर्णय लिया जा चुका है । केवल दरों को निधारित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना था । आवास एंव विकास परिषाद, उ0प्र0 व्दारा उपलब्ध दरों का अवलोकन किया गया व विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विद्यालयो को 50 % की दर से योजना में भूखान्ड उपलब्ध कराये जाये । अन्य शर्ते निम्न प्रकार होगीं ।

1- भवन निमार्ण की कुल अनुमानित लागत का 25% धन विद्यालय के जमा खाते में हो ।
2- संस्था व्दारा नियमानुसार लीज रेन्ट देय होगा ।
3- संस्था विद्यालय भवन का नक्शा लखानऊ विकास प्राधिकरण से पारित कराके
4- संस्था के बोनाफाइडीज तथा उनके पदाधिकारियो के एन्टीसीडेन्टस के बारे में जिलाधिकारी से और शैक्षिक संस्था के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से भी यह पुष्टि करानी होगी कि भूमि का दुपयोग की सम्भावना तो नही है
5- संस्थाओ व्दारा भूमि प्राप्त करने हेतु निधारित प्रारुप (3 प्रतियो में) एक प्रार्थना पत्र दिया जायेगा ।
6- प्रस्तावित निमार्ण संस्था व्दारा दो वर्ष में पूरा करना आवश्यक होगा ।
7- संस्था व्दारा आवंटित भूमि केवल विद्यालय के ही प्रयोग में लाई जायेगी ।
8- संस्था उक्त आवंटित भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तातरित नही करेगी ।
9- उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लधंन करने पर प्राधिकरण व्दारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा भू मि प्राधिकरण में कर दी जायेगी इसके लिये सम्बधित संस्था को कोई सुआवना अथवा हर्जे खर्चे देय नही होगा

(जयन्ती प्रसाद दूबे)
मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखानऊ

(राधे कृष्ण गुप्त)
उपाध्यक्ष
लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।

(बी0जे0 खोदाय
आयुक्त एंव सचिव, श
शासन, आवास एंव
पुनवास ।

मद सं० 29 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या दि० सं० 90

विषय:- श्री भार्गव द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट का आवेदन ।

1- श्री एस० के० भार्गव ने दिनाँक 2/2/77 को कुतबपुर इरादतनगर के भूखण्ड संख्या सी-393 को सार्वजनिक नीलामी में रुपया 10/= प्रतिवर्ग फुट की सर्वोच्च बोली लगायी नीलामी की धनराशि का एक चौथाई भाग तुरन्त उनके द्वारा जमाकरदिया गया तथा शेष धनराशि रुपया 25,254-60 पै० के बारे में दिनाँक 20-6-77 को प्र ति वेदन प्रस्तुत किया कि उन्होने यह भूखण्ड निराला सेवा शिक्षा संस्थान के लिये क्रय कियाहै तथा यह भी निवेदन किया है कि विकास प्राधिकरण सेवा संस्थान के चौरटेबुल इनसटीटयूशन होने के कारण 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करें ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 10-10-77 को बैठक में यह निर्णय लिया गया कि :-

(क) संस्थान अपनी प्राप्ति या एवं देयकों का विवरण प्रस्तुत करे जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसकी हैसियत क्याहै ।

(ख) किन आधारों पर वह अपने को दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं । इसके उत्तर में संस्थान ने यह सूचित किया कि दिनाँक 1-4-76 से दिनाँक 31-3-77 तक उनकी कुल आय रु० 49,619-36 पै० तथा व्यय रु० 44,729-54 है । अधिनियम की धारा 2(5) के अन्तर्गत पंजीकृत होने का तात्पर्य आय कर से मुक्त होता है ।

इस विषय को दिनाँक 15-7-78 की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब भूखण्डों की नीलामी बोली की गयी तो उस समय बोली करने वालों को यह स्पष्ट नही किया गया था कि शिक्षा संस्थाओं को 50 प्रतिशत छूट दी जोयेगी। तथा यह कि उसिचत जानकारी देने के बाद नीलामी की कार्यवाही पुनः की जाय , परन्तु सेवा संस्थान द्वारा इस आधार पर आवेदन किया गया है कि संस्थान एक दातव्य संस्था है अतः उक्त संस्था को भूखण्ड के प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट मिलनी ही चाहिये । इस पर प्र धिकरण की बैठक दिनाँक 7-7-79 को इस विषय में श्री भार्गव द्वारा ~~xxxxx~~ मांग किये गये भूखण्ड की प्रीमियम के 50 प्रतिशत छूट के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया । तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र सं० 1972/37-3-2 पी० ए० /74 दिनाँक 2-4-80 को यह आदेश दिया कि निराला शिक्षा सेवा संस्थान लखनऊ को इरादतनगर योजना 50 प्रतिशत की छूट दे दी जाय । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के उक्त आदेश से प्राधिकरण को हानि होगी । चूंकि गत वर्ष वहाँ पर प्लाटस की बोली 20-75 पै० प्रति वर्ग फुट आयी थी । अस्तु इस सम्बन्ध में शासन को सलग्न पत्र द्वारा सूचित किया गया है । अस्तु विषय प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं विचारहेतु प्रस्तुत है ।

पृष्ठ सं० 101

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विचारार्थ आख्या

विषय- अ० अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्डो के प्रीमियम की दरो एवं उसके भुगतान के संबंध में ।

आख्या: अलीगंज स्ट्रीट एवं नगर प्रसार योजना में सर्वश्री छोटे लाल, बी०एस० सक्सेना एवं जे० एल० केशरवानी को क्रमशः भूखण्ड सं०23बी सेक्टर जे, 60बी । सेक्टर जी एवं 10बी सेक्टर 'जी' में आवंटित हुए थे (आवंटन तिथि क्रमशः 18-11-76 तथा 20-11-76) ।

विधान एवं शर्तो वाली पुस्तिका की क्रम सं० 13 के अर्न्तगत प्रीमियम का एक चौथाई भाग आवंटन पत्र पाने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करनी थी तथा शेष धनराशि प्रत्येक तीन बराबर किश्तो में जमा करनी थी । द्वितीय किश्त आवंटन तिथि से 6 माह के अन्दर जमा करनी थी । शेष दो किश्ते दूसरी किश्त ड्यू होने के बाद के क्रम सं० एक वर्ष के भीतर जमा होनी थी ।

चूँकि भूखण्डो की किश्ते आवंटी समय से नहीं जमा कर रहे थे, अतः दि०6-2-79 को तत्कालीन उपाध्यक्ष ने आदेश दिये कि 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज की माँग की जायँ । तद्नुसार उपरोक्त आवंटियो को सूचित किया जायँ ।

उपरोक्त आवंटियो ने निम्नलिखित तीन बिन्दुओ पर अपना प्रत्यावेदन दिया :

(1) प्रीमियम की दर रु०3.30 प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर रु०5.30 प्रति वर्ग फुट कर दी गई है जबकि प्रीमियम में वृद्धि के लिये कोई प्राविधान उक्त स्कीम से सम्बन्धित "विधान-एव एवं शर्तो" में नहीं है ।

(2) प्रीमियम की अदायगी की कुल अवधि ढाई वर्ष से घटाकर 6 माह कर दी गई जबकि नियमो में प्रीमियम भुगतान हेतु निर्धारित अवधि में घटाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

(3) नियम विरुद्ध निर्धारित अवधि में प्रीमियम भुगतान न करने पर 15% की दर से ब्याज की माँग की गई है जो नियमो के विरुद्ध है ।

उक्त आवंटियो के प्रत्यावेदन पर राज्य आवास मंत्री जी के कक्ष में दिनांक 7-12-79 को एक बैठक हुई जिसमें उक्त आवंटियो ने उपरोक्त बिन्दु उठाये पुनः दिनांक 14-12-79 को तत्कालीन आवास राज्य मंत्री के कक्ष में बैठक हुई जिसमें इन बिन्दुओ पर निर्णय लिये गये :-

1) भूखण्ड के प्रीमियम की दर रु०3.30 से बढ़ाकर 5.30 प्रति वर्ग फुट किये जाने का कारण भूमि के अर्जन की दरो/विकास दरो में वृद्धि है अतः इसे घटाना उचित नही है ।

2) प्रीमियम की अदायगी के लिये नियमो में ढाई वर्ष की अवधि निर्धारित थी । अतः इस अवधि के अन्दर प्रीमियम जमा करने वालों से ब्याज न लिया जायँ ।

3) ब्याज की दर 15% के बजाय 10% रखी जायँ ।

उक्त बिन्दुओं में से बिन्दु 1 एवं 2 पर तत्कालीन आवास मंत्री जी के कक्ष में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है ।

क्रमशः . . . . . .

Y06 No 102

जहाँ तक दण्ड ब्याज 15% के बजाय 10% लेने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में यह कहना है कि अन्य आवंटियो ने जिन्होंने किश्ते निर्धारित समय के अन्दर नहीं जमा की थी, ने 15% की दर से दण्ड ब्याज अपनी किश्तो के साथ जमा किया । इस प्रकार यदि प्रश्नगत आवंटियो को इस ~~xxx~~ दण्ड ब्याज में छूट दी जाती है तो अन्य आवंटी भी इस पर आपत्ति कर सकते हैं ।

अतः उपरोक्त विषय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

ह0/- प्रभारी अधिकारी(स्टोर)
8-7-80

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-7-1980, जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई का कार्यवृत्त

=====:::::00000:::::=====

उपस्थिति :

1- श्री गंगा राम	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2- श्री बी0जे0खोबरायजी	आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं पुर्नवास, विधान भवन, लखनऊ ।
3- श्री राधे कृष्ण गुप्ता	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
4- श्री सुरेन्द्र सिंह पांगती	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
5- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- श्री ओ0पी0विश्नोई	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

=====:::::0000:::::=====

अन्य उपस्थिति:

1- श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

=====:::::0000:::::=====

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 14-5-80 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 14-5-80 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 14-5-80 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 14-5-80 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्न निर्णय लिये गये:-

2:2 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइडलाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि विषय प्राधिकरण की अगली बैठक में, उपसमिति की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

क्रमशः:-----2

2:3 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 की पत्रावली खोने की जाँच की जाने तथा पत्रावली रिकान्स्ट्रक्ट किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि पत्रावली खोने की जाँच एवं पत्रावली का रिकान्स्ट्रक्शन 2 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये ।

2:4 नजूल के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में जैसे कलेक्ट्रेट से नक्शे एवं अभिलेख पूर्ण करना । शेष नियुक्तियाँ शीघ्र करना एवं सर्वे आदि के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि नजूल के कार्यों की प्रगति देखने के लिये एक प्रोफार्मा बनाया जाये तथा उसकी प्रगति बैठक में प्रस्तुत की जाया करें । प्रगति में रिकार्डस का सही ढ़ँग से बनाया जाना, सर्वे कार्य, अतिक्रमण मालूम करना, न्यायालय में वाद दायर करना इत्यादि शामिल होगा ।

2:9 सिन्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दूकानों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि आवन्टन की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।

2:11 भूखण्ड संख्या:3 मोतीझील सॉ मिल योजना के अन्तर्गत आवण्टन के सम्बन्ध में शासन के निर्णय तथा विधिक राय के अनुसार उपाध्यक्ष व्दारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से मामला निस्तारित करा लिया जाये ।

2:14 नवखास योजना में चिड़िया बाज़ार के समीप के क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि ट्रैफिक नियमित करने के लिये जो उप-समिति बनी है उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाये तथा उस कमेटी से यह भी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर ली जाये कि चिड़िया बाज़ार के समीप के क्षेत्र को अर्जन से मुक्त किया जाये अथवा नहीं ।

2:16 लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स पर कार्यवाही के निर्देश के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर स्थित 600 एकड़ जँगल की भूमि में से 20 एकड़ भूमि कैटिल कालोनी हेतु तुरन्त विकसित की जाये । इस सम्बन्ध में यह भी निदेशित किया गया कि प्रति सप्ताह कैटिल कालोनी की स्थापना एवं विकास के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा प्रगति का रिव्यु किया जाये ।

क्रमश:----3

सम्बन्धित पशु स्वामियों को कैटिल कालोनी में जाने के लिये परसुवेड किया जाये एवं उन्हे सुविधाओं से अवगत कराया जाये । दुग्ध कलेक्शन केन्द्र आदि भी बनाये जायें । विभिन्न विभागों के सम्बन्धित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर शीघ्र इस प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जाये । कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ हुई बैठक की कार्यवाही को भी ध्यान में रखा जाये ।

उक्त कालोनी की शीघ्र स्थापना हेतु एक कमेटी कमेटी का भी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा सदस्य सचिव, विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण एवं सम्पत्ति अधिकारी, विकास प्राधिकरण होगें । यह कमेटी कैटिल कालोनी की शीघ्र स्थापना हेतु कार्यवाही करेगी ।

4:1 ट्रान्सपोर्ट नगर के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों के बिक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन तथा प्रार्थनापत्रों की स्क्रुटनी के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि अशोक ली लैन्ड के प्रतिनिधियों को शो-रूम्स भी एलाट कर दिये जायें तथा अध्यक्ष द्वारा प्रति सप्ताह ट्रान्सपोर्ट नगर को शीघ्र बसाने हेतु प्रगति की समीक्षा की जाये । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया जिसमें अन्य सदस्य- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य-अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त-जिलाधिकारी, लखनऊ होगें । यह कमेटी प्रत्येक सप्ताह बैठक करके ट्रान्सपोर्ट नगर को शीघ्र बसाने का प्रयास करेगी ।

पूर्व विषय स0:3 बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: निर्णय लिया गया कि कानपुर विकास प्राधिकरण से भी प्रोफार्मा मँगा लिया जाये ।

पूर्व विषय स0:4 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: निर्णय लिया गया कि प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से आदेश प्राप्त कर लिये जायें । अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश प्राधिकरण के आदेश समझे जायेगें ।

क्रमशः:----4

पूर्व विषाय संख्या:6 — लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — प्राधिकरण कार्यालय व अतिथि गृह हेतु शीघ्र स्थल का चयन किया जाये ।

पूर्व विषाय संख्या:8 — लखनऊ नगर में रैन बसेरा स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — रैन बसेरा स्थापित करने हेतु शीघ्र स्थल का चयन किया जाये ।

विषाय संख्या:9(पूर्व) — विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन डालने से छूट देने सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — नगर अभियन्ता (भवन) द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट जो स्थल की जाँच के पश्चात प्रस्तुत की गई है, देखी गई । उक्त रिपोर्ट में नगर अभियन्ता (भवन) ने विष्णुपुरी कालोनी की सीवर को आवास विकास परिषद की सीवर लाइन से जोड़ने में दोनों के लेविल में अन्तर होने के कारण सम्भव नहीं है, ऐसा सूचित किया है और उपरोक्त परिपेक्ष्य में सीवर लाइन से छूट देने का पुन: अनुरोध किया तथा प्रत्येक प्लाट होल्डर्स को अपने प्लाट में सैप्टिक टैंक बनाने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव रखा । इस विषाय पर वार्ता करते समय मुख्य अभियन्ता, जल निगम ने इस प्रकार से सैप्टिक टैंकों से वातावरण में कुछ खराबी आने की बात कही । उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि दोनों कालोनियों की पूर्ण स्थिति के साथ यह विषाय मुख्य अभियन्ता जलनिगम को दिखा दिया जाये । यदि वह सहमति प्रदान करें तो अन्य कोई विकल्प न होने के कारण सीवर में छूट प्रदान कर दी जाये परन्तु प्रत्येक प्लाट-होल्डर्स से एक शपथ-पत्र ले लिया जाये कि जब भी उस क्षेत्र में सीवर डाला जायेगा तो वे प्रोपोरशनेट कौस्ट वहन करेंगे ।

पूर्व विषाय संख्या:10 — कोआपरेटिव सोसाइटीज एवं कौलोनाइज़र व्दारा प्लान पर तकनीकी रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् विकास कार्य हेतु ऐग्रीमेन्ट न करने तथा विकास-व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार ।

पारित प्रस्ताव : — यह विषाय पुन: उठा कि मूल रूप से इस प्रकार की कालोनियों में जिनका ले-आउट प्लान सोसाइटी/कालोनाइज़र व्दारा जमा करने पर तकनीकी रूप से

ट्रफश:---5

सही पाये गये परन्तु कालोनाइज़र/सोसाइटी ने ऐग्रीमेन्ट नहीं किया और विकास भी तदानुसार नहीं किये तथा प्लाटों को व्यक्तियों को बेच दिया और अब प्लाटहोल्डर्स अपने आवास कार्य हेतु स्वीकृति के लिये प्राय: दबाव डालते रहते हैं । यद्यपि नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिये परन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ पर इस प्रकार के प्लाट बन चुके हैं और कालोनाइज़र/सासाइटी ने तकनीकी रूप से प्लान स्वीकृत कराकर बिना प्राधिकरण की अनुमति के कुछ विकास भी कर लिया है एवं कुछ अन्य विकास अभी भी शेष हैं । इस प्रकार से पूर्व जाँची और सही पाई गई कालोनियों में प्रत्येक प्लाट होल्डर्स से अनुमानित विकास व्यय जो आन्तरिक विकास के लिये होगा तथा अनुमानित वाह्य विकास व्यय जो वाह्य सुविधायें कालोनी तक पहुँचाने के लिये व्यय हों, प्राप्त कर प्लान पास करने के लिये कार्यवाही की जाये । कानपुर विकास प्राधिकरण ने आन्तरिक विकास व्यय एवं बाह्य विकास व्यय को निकालने के लिये एक सिद्दान्त भी प्रतिपादित किया हुआ है । लखनऊ विकास प्राधिकरण भी विकास व्यय निकालने में कानपुर विकास प्राधिकरण की इस पद्दति का अनुकरण करते हुए कार्य करे ।

विषाय स0:3 बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्द प्रगति आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय व्यय की समीक्षा की गई तथा निर्णय लिया गया कि आय-व्यय का त्रैमासिक लक्ष्य निम्न रूप से निर्धारित किया जाये:-

त्रैमास का नाम	आय का लक्ष्य	व्यय का लक्ष्य
प्रथम त्रैमास	20 प्रतिशत	15 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	25 प्रतिशत	35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत

यह भी निर्णय लिया गया कि बार-चार्टस के रूप में भी प्रगति बनाई जाये । इसका प्रारूप कानपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया जाये ।

विषाय स:4 लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/भूमि क्रय के लिये स्वीकृत अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नगरमहापालिका

क्रमश:----6

लखनऊ से जानकारी प्राप्त की जाये कि वहाँ के कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं भूमि क्रय करने के लिये अग्रिम किस प्रकार एवं किन शर्तों के साथ स्वीकार एवं भुगतान हो रहा है ।

विषय संख्या:5 अप्राविधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

विषय संख्या:6 2 कास्ट असिस्टेन्ट के पद वेतनमान 350-700 प्लस अनुमन्य भत्ते में सृजित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त असिस्टेन्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट के दो पद रू0 300-500 के वेतन मान में सृजित किये गये । यहभी निर्णय लिया गया कि इन पदों पर केवल उन्ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाये जो कम से कम बी0काम सेकेन्ड डिवीज़न हों तथा कामर्शियल एकाउन्टेन्सी में एवं कास्ट एनालिसेस का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों । यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों का सृजन इस शर्त के साथ किया जाता है कि आगामी वर्ष विकास प्राधिकरण लेखा की वाणिज्य प्रणाली एडाप्ट कर लेगा ।

विषय संख्या:7 भूमि अर्जन एवं विकास खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, उ0प्र0पालिका केन्द्रीयत सेवा के सहायक अभियन्ता कार्यरत विकास प्राधिकरण की तदर्थ नियुक्ति ।

पारित प्रस्ताव: सर्कुलर द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या:8 अमीरूद्दौला इस्लामिया इण्टर कालेज का व्यापारिक निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त इस्लामिया इन्टर कालेज के व्यापारिक भू-उपयोग के सम्बन्ध में उक्त विद्यालय के प्रबन्धक का प्रत्यावेदन अनुमोदित किया गया । तथा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की यह संस्तुति शासन को भेज दी जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त विद्यालय में भू-तल पर बने कमरों का प्रयोग दूकानों के रूप में नहीं किया जायेगा । शासन को तद्नुसार संस्तुति भेज दी जाये ।

क्रमश:---7

विषय संख्या: 9 मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

शासन द्वारा प्रेषित शासनादेश का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि महायोजना के सम्बन्ध में उठाई गई शंकाए समाप्त समझी जायें । चूंकि महायोजना वैध है, अत: तदानुसार ही कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या:10 लखनऊ नगर का मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण करने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर का मानचित्र तैयार कराने के लिये सर्वे आफ़ इन्डिया से शीघ्र सर्वे कराया जाये तथा प्लान का स्केल 1:5,000 रखा जाये । इसके लिये सर्वे आफ़ इन्डिया से रेट शीघ्र प्राप्त करके सर्वे का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये । सर्वे आफ़ - इन्डिया द्वारा दिये गये रेट की स्वीकृति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण स्वयं प्रदान कर दें ।

विषय संख्या:11 फ़ैजाबाद रोड़ स्थित मेसर्स मोहन ऐण्ड को0 की अशोका गार्डेन कालोनी में भवन चित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करना ।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण की प्रगति आख्या के आइटम स0 10 पर भी लगभग इसी प्रकार का विषय प्रस्तुत किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि कालोनाइज़र बिना कालोनियों का पूर्ण विकास किये तथा विकास का ऐग्रीमेन्ट अनुबन्धित किये हुए प्लाटों का बेच कर अपना कार्य समाप्त समझ लेते हैं और जनता को इस प्रकार की कालोनियों में प्राधिकरण द्वारा प्लान न पास करने तथा कालोनाइज़र द्वारा विकास पूर्ण न करने के कारण प्राय: काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । ऐसी परिस्थिति में कुछ विशेष क़दम उठाने की आवश्यकता है ।

1- उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में जो भी भू- विभाजन किया जाये उसकी स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ही सब-रजिस्ट्रार द्वारा उसकी रजिस्ट्री की जानी चाहिये । इसके लिये यदि आवश्यक हो तो शासन से विशेष आग्रह किया जाये कि इस सम्बन्ध में शासन तुरन्त आदेश जारी करे ।

क्रमश:---8

2- जो कालोनियां पूर्व में अर्द्ध विकसित रूप से आ चुकी हैं और जिनमें भूमि-विभाजन कर कालोनाइज़र ने अपने प्लाटों को बिना सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त किये, प्लाट होल्डर्स को बेच दिया है । इन विषयों में प्लाट क्रय करने वालों की गलती को कम मानते हुए तथा विकास की गति में अवरोध न उत्पन्न हो इसलिये ऐसी कालोनियों जिनका कुछ विकास जैसे आवागमन के साधन, पानी का निकास, बिजली व पानी की सुविधायें आदि कालोनाइज़र अन्य विकास करने को अब तैयार न हों लेकिन उक्त विकास का कोई धन भी कालोनाइज़र ने प्लाट होल्डर्स से न लिया हो । ऐसी स्थिति में यदि प्लाट होल्डर्स स्वयं बचे विकास तथा आन्तरिक विकास दोनों के आधार पर लिया जायेगा, देने को तैयार हो तो प्लान स्वीकृति की कार्यवाही की जाये ।

इस प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व कालोनाइज़र को एक बार पुन: उक्त विकास कार्य करने हेतु सूचित किया जाये । यदि सूचना दिये जाने के पश्चात भी कालोनाइज़र व्दारा विकास कार्य नहीं कराये जाते हैं तो नियम के अन्तर्गत जो भी दण्डात्मक प्राविधान हैं उसे कालोनाइज़र पर अलग से लगाया जाये, परन्तु प्लान स्वीकृति की प्रक्रिया उपरोक्त में बताये गये आधारों के परिपेक्ष्य में प्रारम्भ कर दी जाये ।

विषय संख्या: 12

बिल्डिंग बाइलाज़ सब कमेटी व्दारा तैयार किये गये बिल्डिंग बाइलाज़ का अनुपालन एवं प्राधिकरण व्दारा प्रस्तावित नियम तथा उप-विधियाँ ।

पारित प्रस्ताव

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत बिल्डिंग बाइलाज़ को एक बार पुन: देख लिया जाये कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है । इसके लिये एक सब-कमेटी जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं वरिष्ठ नगर-नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण नामांकित किये गये । गठित की गई । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कमेटी आगामी बैठक में बिल्डिंग बाइलाज़ के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अवश्य दे ।

क्रमश:----- 9

विषाय सँख्या: 13 सेक्टर "एल" अलीगँज आवासीय कालोनी के द्वितीय चरण में जनसँख्या के घनत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेक्टर "एल" अलीगँज आवासीय योजना की कालोनी के द्वितीय चरण में जनसँख्या से घनत्व में छूट देने के सम्बन्ध में सँस्तुति की जाती है । तदानुसार शासन को उक्त सँस्तुति भेजकर स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।

विषाय सँख्या: 14 सेक्टर "एम" अलीगँज आवासीय योजना की कालोनी के द्वितीय चरण में जनसँख्या के घनत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेक्टर "एम" अलीगँज आवासीय कालोनी के द्वितीय चरण में जनसँख्या से घनत्व में छूट देने के सम्बन्ध में सस्तुतिँ की जाती है । तदानुसार शासन को उक्त सँस्तुति भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।

विषाय सँख्या: 15 आवास विकास परिषाद की तालकटोरा रोड योजना के औद्योगिक क्षेत्र का भू- उपयोग बदलने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विषाय स्थागित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के मामले से सम्बन्धित भूमि जो इस विषाय से सम्बन्धित है, का सर्वेक्षण करा लिया जाये । तथा आगामी बैठक में सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ आख्या प्रस्तुत की जाये । आगामी बैठक में सम्मिलित होने के लिये आवास आयुक्त को विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाये ।

विषाय सँख्या: 16 अलीगँज मार्ग एवँ नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की तथाकथित भूमि के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले का पुन: परीक्षण किया जाये तथा यह पता लगाया जाये कि इस केस को तथा अन्य केसेज़ को प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया है । अलकापुरी का केस भी इस सम्बन्ध में देख लिया जाये । सन्दर्भित भूमि का मुआवज़ा दिया गया है या नहीं । यह भी भाली भाँति देख लिया जाये । समस्त तथ्यों के साथ रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

क्रमश:--10

विषय सँख्या: 17 नक्शास योजना में चिड़िया बाज़ार के समीप के कुछ क्षेत्र को अर्जन से मुक्त एवँ अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में भवन-चित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पालिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि ट्राफिक ऐडवाइज़री कमेटी सम्बन्धित क्षेत्र को देखकर अपनी रिपोर्ट दे कि सम्बन्धित क्षेत्र अर्जन से मुक्त किया जाये अथवा नहीं । यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूमि अध्याप्त सम्बन्धी मामलों में लैन्ड - ऐक्वीज़ीशान ऐक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत जब नोटीफिक्केशान हो जाये तो सम्बन्धित स्थान के लिये कोई भी भवन चित्र स्वीकृत न किया जाये ।

विषय सँख्या: 18 शहर के मध्य बटलर गँज स्कीम के भूखाण्ड सँख्या-10 की भूमि का अर्जन ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उक्त भूखाण्डों की अर्जन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये क्योंकि अब इन भूखाण्डों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण को कोई कार्यवाही नहीं करनी है ।

विषय सँख्या: 19 श्री हरीश रस्तोगी, मालिक पँचशील, के प्रार्थना-पत्र दिनाँक 29-7-79 तथा 13-5-1980 जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि सरोजनी नायडू पार्क में उनसे बकाया धनराशि को जमा कराकर व उनके विरुद्ध दायर बेदखली के मुकदमें को उठाकर लाइसेन्स पुन: रिस्टोर कर दियाँ जाये, पर विचार ।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मामले का पुन: परीक्षण करके पुन: प्रस्तुत किया जाये ।

विषय सँख्या: 20 आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइज़ेशन को अलीगँज नगर एवँ सड़क प्रसार योजना, फेज़-2 में 5 एकड़ भूमि तथा कानपुर रोड योजना में 50 एकड़ भूमि की आवन्टन ।

पारित प्रस्ताव: सर्कुलर द्वारा पारित प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा अनुमोदित किया गया । सचिव ने सूचित किया कि उक्त बोर्ड को अलीगँज योजना के फेज़-2 में 5 एकड़ भूमि रु0 5-00 प्रति वर्ग फुट की दर से दी गई है ।

क्रमश:----11

विषय संख्या:21 अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के पुस्ताव संख्या-5 पर हुए विचारानुसार गठित उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि का लीज़रेन्ट निम्न प्रकार से लिया जाये :-

1- प्रथम तीस वर्ष	प्रीमियम का एक प्रतिशत
2- द्वितीय तीस वर्ष	प्रीमियम का डेढ़ प्रतिशत
3- तृतीय तीस वर्ष	प्रीमियम का सवादो प्रतिशत

सचिव ने बताया कि उच्च आय वर्ग के भवनों के लिये लीज़रेन्ट प्रीमियम का तीन प्रतिशत लिया जाता है । निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त कर ली जाये कि सामान्य परिस्थितियों में जबकि लीज़रेन्ट प्रीमियम का एक प्रतिशत लिया जाता है तो उच्च आय वर्गीय भवनों के लिये तीन प्रतिशत लीज़रेन्ट लिया जाना कानूनी रूप से कहां तक सही है ।

विषय संख्या:22 राम किशन मिशन को आवन्टित भूखण्ड संख्या-बी-81 बी-82/1, बी-82/2, स्थित टी0जी0नगर चांदगंज योजना के लीजहोल्ड राइट्स को समाप्त करके राम कृष्ण कठ को लीज़ पर पट्टा देने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि राम-कृष्ण मठ से सम्बन्धित ट्रस्ट डीड शीघ्र मंगा ली जाये तथा मामले को पुन: इक्ज़ामिन कर लिया जाये तथा मामले पर विधिक राय भी ले ली जाये ।

विषय संख्या: 23 श्री सी0एम0अग्रवाल को आवन्टित भूखण्ड संख्या-सी-49 स्थित सेक्टर "जे" को बदलने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस विषय में अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।

विषय संख्या: 24 लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये उद्यान अधीक्षक का पद वेतनमान रू0 550-1200 में सृजन एवं श्री जे0पी0गुप्ता उद्यान अधीक्षक की नियुक्ति ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त विकास प्राधिकरण में उद्यान-अधीक्षक का एक पद वेतनमान रूपया 550-1200 में सृजित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (ए0जी0) होनी चाहिये । तथा हार्टिकल्चर में शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों/स्वायत्त शासन/शासन के नियमों अथवा विकास प्राधिकरण में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।

क्रमश:-----12

विषय संख्या: 25 अलीगँज आवास योजना में विकास प्राधिकरण, नगर महापालिका का कर्मचारियों व्दारा अनाधिकृत कब्ज़ा लेने के विषय में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों व्दारा इस प्रकार अनाधिकृत कब्ज़ा लेने के विषय में उच्च स्तरीय जाँच की जाये । इन कर्मचारियों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा सभी कर्मचारियों से शीघ्र रेन्ट वसूल किया जाये । उक्त कर्मचारियों को उक्त भवन आवन्टित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 26 सिविल अस्पताल के लिये 5 एकड़ क्षेत्र ट्रान्सगोमती क्षेत्र में तथा 5 एकड़ कानपुर रोड पर आलमबाग की ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा नि:शुल्क भूमि प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण व्दारा ट्रान्स गोमती क्षेत्र में तथा आलमबाग की ओर कानपुर रोड पर सिविल अस्पताल के लिये 5-5 एकड़ नि:शुल्क भूमि चिकित्सा विभाग को देना सम्भव नहीं है । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर उपलब्ध कराई जा सकती है । तदानुसार शासन को सूचित कर दिया जाये ।

विषय संख्या: 27 लखनऊ विकास प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित निम्नलिखित पद सृजित किये जाते हैं :-

1- गैंग मैन	भवन विभाग में	3	वेतनमान 165-215
2- मेट	खण्ड- 3 हेतु	1	वेतनमान 168-218
3- इलेक्ट्रीशियन	फव्वारा पार्क	1	वेतनमान 172-226
4- पम्प आपरेटर	शहीद पार्क	1	वेतनमान 168-218
पम्प आपरेटर	फव्वारा पार्क	1	वेतनमान 168-218
5- माली	शहीद स्मारक	10	वेतनमान 165-215
माली	बेगम हज़रतमहल	5	वेतनमान 165-215
माली	लिम्ब सेन्टर के सामने	6	वेतनमान 165-215
माली	अलीगँज	10	वेतनमान 165-215

वर्कचार्ज के व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक उप-समिति जिसमें सचिव, विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण तथा मुख्य लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे, गठित की जाती है । यह उप-समिति यह बतायेगी कि वर्कचार्ज प्रथा किस प्रकार समाप्त की जा सकती है । उक्त उप-समिति की रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक

-------13

में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या:28 अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में विद्यालयों को भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चेतना सोसाइटी, निरालानगर, लखनऊ को अलीगंज सड़क एवं नगर विस्तार योजना के सेक्टर "सी" में 59552 वर्गफुट भूमि जो विद्यालयों के लिये आरक्षित है, आवन्टित की जाती है । उक्त भूमि की दर प्लाटेड एरिया रेट का 50% होगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संस्था विद्यालयों को भूमि आवन्टन हेतु गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 19-7-80 की कार्यवाही में उल्लिखित शर्तें भी पूर्ण करें जो निम्न प्रकार हैं :-

I- भवन निर्माण की कुल अनुमानित लागत का 25% धन विद्यालय में जमा खाते में हो ।

II- संस्था द्वारा नियमानुसार लीज़रेन्ट देय होगा ।

III- संस्था विद्यालय भवन का नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित कराये ।

IV- संस्था के बोनाफाइडीज़ तथा उनके पदाधिकारियों के ऐन्टीसीडेन्ट्स के बारे में जिलाधिकारी से और शैक्षिक संस्था के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से यह भी पुष्टि करानी होगी कि भूमि का दुरूपयोग की सम्भावना तो नहीं है ।

V- संस्थाओं द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (3 प्रतियों में) एक प्रार्थनापत्र दिया जायेगा ।

VI- प्रस्तावित निर्माण संस्था द्वारा दो वर्षों में पूरा करना आवश्यक होगा ।

VII- संस्था द्वारा आवन्टित भूमि केवल विद्यालयों के ही प्रयोग में लाई जाये ।

VIII- संस्था उक्त आवन्टित भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तान्त्रित नहीं करेगी ।

IX - उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा आवन्टन निरस्त कर दिया जायेगा तथा भूमि प्राधिकरण में वेस्ट कर दी जायेगी । इसके लिये सम्बन्धित संस्था को कोई मुआवज़ा अथवा हर्जे खर्चे देय नहीं होगें ।

क्रमशः----14

उप समिति व्दारा 4 अन्य विद्यालयों के लिये भी सँस्तुति की गई थी जिसपर निर्णय लिया गया कि अन्य चार सँस्तुति किये गये विद्यालयों के मामलों को पुन: इक्ज़ामिन कर लिया जाये जिसके लिये एक उप-समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी, लखनऊ तथा मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ होंगे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय सँख्या:29 श्री भार्गव व्दारा क्रय किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट का आवेदन ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि शासनादेश सँख्या-1972/37-3-2-पी0ए0/74, दिनाँक 2-4-80 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये तथा श्री एस0के0भार्गव ने सन् 1977 में उक्त भूखण्ड की जो बोली लगाई थी उसकी 50 प्रतिशत दर पर उक्त भूखण्ड निराला सेवा-शिक्षा सँस्थान का आवन्टँत कर दिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यालयों को भूमि आवन्टित किये जाने की अन्य शर्तें विषय सँख्या-28 में उध्दृत शर्तों के समान ही इस विषय में भी लागू होंगी ।

विषय सँख्या: 30 अलीगँज योजना में आवन्टिँत भूखण्डों के प्रीमियम की दरों एवँ उनके भुगतान के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

विषय सँख्या : 31 विकास प्राधिकरण में नजूल अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 के प्रस्ताव सँख्या- 6 व्दारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:-

"" उप समिति की सिफारिशों से सहमत प्रकट की गई । नजूल की सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट की स्थिति काफ़ी गम्भीर है जिसके बारे में चिन्ता प्रकट की गई, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ़ की नियुक्ति करके नजूल प्रापर्टी के सर्वे का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें तथा शासन को तदानुसार सूचित कर दें । ""

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण में अबतक

क्रमश:--15

निम्नलिखित स्टाफ़ नजूल भूमि के प्रबन्धा हेतु नियुक्त किया गया है :-

1-	तहसीलदार	एक
2-	नायब तहसीलदार	एक
3-	क़ानून गो	एक
4-	प्रथम श्रेणी लिपिक	एक
5-	सर्वेयर	पाँच
6-	चपरासी	एक

ऐसा महसूस किया गया है कि उक्त स्टाफ़ एवं नजूल के कार्य के सम्पादन की प्रभावी देखा-रेखा हेतु एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाये जिसे राजस्व एवं भूलेख सम्बन्धी अनुभव प्राप्त हो ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में नजूल अधिकारी का एक पद सृजित किया जाता है तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से एक पी०सी०एस० अधिकारी वेतनमान रू० 800-1450 में प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में अतिशीघ्र नियुक्ति करने हेतु निवेदन कर दिया जाये ।

ह० ध्यान सिंह वर्मा
(ध्यान सिंह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
ल ख न ऊ ।

अ नु मो दि त
==========

ह० गंगा राम
10-8-80

(गं गा रा म)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

एम/आर xxx